VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था -2

JUNE 2016 – FEB 2017

NOTE: March 2017 to 15th May 2017 current affairs for PT 365 Economy will be updated on our website on third week of May 2017.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION

विषय सूची

7. कृषि _______ *7*

7.1. सिंचाई परियोजनाओं में प्रगति _______ 7

7.1.1. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता _______ 7

7.1.2. लॉन्ग टर्म इरीगेशन फण्ड _______ 7

7.1.3. पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना _______ 7

7.2. कृषकों को वित्तीय सहायता _______ 8

7.2.1.कृषि कल्याण उपकर _______ 8

7.2.2. किसानों के लिए ब्याज में छूट सम्बन्धी योजना _______ 9

7.2.3. चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी हेतु फार्मूला _______ 9

7.3. कृषकों की सहायता में ई-टेक _______ 10

7.3.1. ई-लाभ _______ 10

7.3.2. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण _______ 10

7.4. पोस्ट-हार्वेस्ट हानि कम करने हेतु किये गए पहल _______ 11

7.4.1. कृषि विकिरण केंद्र _______ 11

7.4.2. कोल्ड चेन योजना _______ 11

7.5. दलहन _______ 11

7.5.1. दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य _______ 11

7.5.2. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि _______ 12

7.5.3. पूसा अरहर 16 _______ 12

7.6. मत्स्यन _______ 13

7.6.1. मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन _______ 13

7.6.2. एक्वाकल्चर को बढ़ावा _______ 13

7.6.3. WTO में मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दा _______ 14

7.7. कृषि उपज में विकल्प _______ 14

7.8. कृषि विपणन _______ 14

7.8.1. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन _______ 15

7.8.2. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक _______ 15

7.8.3. मेगा फ़ूड पार्क _______ 16

7.9. PMFBY की समीक्षा _______ 16

7.10. बागानी क्षेत्र के लिए पहल _______ 17

7.10.1.बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) _______ 17

7.11. कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं _______ 18

7.11.1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(RKVY) _______ 18

7.11.2. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन _______ 18

7.11.3. आर्य _______ 18

7.11.4. सेन्सएग्री _______ 19

VISION IAS

7.12. भारतीय उर्वरक और पोषक तत्व अनुसंधान परिषद ____ 19

8. औद्योगिक नीति और संबंधित मुद्दे ____ 20

8.1. खनन क्षेत्र की योजनाएं और नीतियां ____ 20

8.1.1. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति ____ 20

8.1.2. ताम्र : खनन मंत्रालय का पोर्टल ____ 20

8.1.3. खनन निगरानी प्रणाली ____ 21

8.2. राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा ____ 21

8.3. स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (SRTMI) ____ 21

8.4. बौद्धिक संपदा बनाम प्रतिस्पर्धा कानून ____ 22

8.5. IPR संवर्द्धन और प्रबंधन सेल ____ 22

8.6 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति ____ 23

8.7. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किए गए पहल ____ 23

8.7.1. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना ____ 23

8.7.2. एलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क ____ 24

8.7.3 इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट फण्ड ____ 24

8.8. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति ____ 24

8.9. सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फॉर फैसिलीटेटिंग ट्रेड: SWIFT ____ 24

8.10. भारत का प्रथम टाइटेनियम प्रोजेक्ट ____ 25

8.11. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ____ 25

9. अवसंरचना ____ 26

9.1. सड़क मार्ग क्षेत्र ____ 26

9.1.1. राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड ____ 26

9.1.2. राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी ____ 26

9.1.3. लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम ____ 26

9.1.4 एशियाई विकास बैंक - गंगा पुल ऋण ____ 27

9.1.5. NATRIP (National Automative Testing And R &D Infrastructure Project) परियोजना ____ 27

9.1.6 फास्टैग रोल-आउट एंड फैसिलिटेशन ____ 27

9.1.7. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT) ____ 28

9.1.8. सभी राजमार्गो पर हरित क्षेत्र का विस्तार ____ 28

9.2. रेल क्षेत्र ____ 28

9.2.1. हीरक चतुर्भुज: डायमंड क्वाड्रीलेटरल (Diamond Quadrilateral) ____ 28

9.2.2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ____ 28

9.2.3. गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा ____ 29

9.2.4. रेल सुरक्षा ____ 29

9.2.5. रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फण्ड (RIDF) ____ 30

VISION IAS

9.2.6. मिशन 41K 30
9.2.7. कल्पना चावला चेयर ऑन जिओस्पैटियल टेक्नोलॉजी 30
9.2.8. त्रि-नेत्र 31
9.2.9. रेलवे मंत्रालय की शोध तथा विकास इकाई- RDSO 31
9.2.10. अनिल काकोडकर कमेटी 31
9.2.11. भारतीय रेलवे की 'मिशन रफ्तार' योजना 32
9.2.12. राष्ट्रीय रेल योजना 2030 32
9.3. बंदरगाह 33
9.3.1. द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटिज बिल, 2016 33
9.3.2. भारत का 13वां मेजर पोर्ट 33
9.3.3. सागर पत्तन 34
9.3.4. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर) 35
9.3.5. मर्चेंट शिपिंग बिल 35
9.3.6. बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाएं 36
9.3.7. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 37
9.3.8. सागर पूर्वी 37
9.3.9. रो पैक्स फेरी सर्विस 37
9.3.10. परादीप औद्योगिक बंदरगाह शहर (पोर्ट सिटी) 38
9.3.11. बंदरगाह क्षेत्र के लिए नया मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट 38
9.3.12. हरित बंदरगाह परियोजना 38
9.4. विमानन क्षेत्रक 38
9.4.1. नागर विमानन नीति 38
9.4.2. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम- 'उड़ान' 39
9.4.3. एयर सेवा पोर्टल 40
9.4.4.इंटरनेशनल सिविल एविएशन नेगोशिएशंस (ICAN) 41
9.5. अतिरिक्त विषय 41
9.5.1. ट्रांजिट आधारित विकास नीति 41
9.5.2. DISHA परियोजना 42
9.5.3. अवसंरचना वित्तपोषण 42
9.5.4. अण्डमान को जोड़ने के लिए अंडर सी (under sea) केबल 43
10. ऊर्जा 44
10.1. कोल मित्र 44
10.2. ऊर्जा गंगा परियोजना 44
10.3. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 44
10.4. सौर ऊर्जा 45
10.4.1. राष्ट्रीय सौर मिशन 45
10.4.2. भारत की विश्व व्यापार संगठन में दर्ज अपील में हार 45

VISION IAS

10.4.3. सूर्यमित्र 46
10.4.4. केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा 46

10.5. नाभिकीय ऊर्जा 47
10.5.1. आंध्रप्रदेश: देश का परमाणु ऊर्जा हब 47
10.5.2. परमाणु संयंत्रों का बीमा 47
10.5.3. दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल 48
10.5.4. ग्लोबल विंड पॉवर इन्सटाल्ड कैपेसिटी इंडेक्स 48

10.6. GAS4INDIA 48

10.7. नई जलविद्युत परियोजनाएं 48

10.8. विद्युत् क्षेत्रक 48
10.8.1. सभी के लिए 24X7 बिजली 48
10.8.2 गर्व II ऐप 49
10.8.3. तरंग मोबाइल एप्लिकेशन, "ई-ट्रांस (E-TRANS)" तथा दीप (DEEP) 50
10.8.4. राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) का मसौदा 50
10.8.5. लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (LGBR) 51

10.9. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) 51
10.9.1. ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 51
10.9.2. स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम 52
10.9.3. EEFP और EEAPP 52
10.9.4. अटल अक्षय ऊर्जा भवन 52
10.9.5. स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) 53

10.10. FAME स्कीम 53

11. रिपोर्ट 54

11.1 मानव विकास सूचकांक (HDI) 54

11.2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 54

11.3 मानव पूँजी सूचकांक 54

11.4 स्टेट ऑफ़ ICT इन एशिया एंड द पैसिफिक 2016 : ब्रॉडबैंड डिवाइड 55

11.5 वर्ल्ड इकॉनोमिक फ्रीडम 55

11.6. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 55

11.7. समावेशी विकास सूचकांक 55

11.8. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 56

11.9. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 56
11.9.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग 56
11.9.2. SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 57

VISION IAS

11.10. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 57

11.11. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स) 57

11.12. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 57

11.13. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 58

11.14. वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI) 58

11.15. विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 59

11.16. ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 59

11.17. विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) 59

11.18 द एशिया-पेसिफ़िक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2016 59

12. विविध 60

12.1. बासमती के GI टैग संबंधी दावे पर विवाद 60

12.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 60

12.3. निधि आपके निकट कार्यक्रम 61

12.4. डिजीलॉकर 61

12.5 बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) 61

12.6. फेस्टिवल ऑफ़ इनोवेशन (FOIN) इनिशिएटिव 62

12.7 अकोदरा- भारत का प्रथम डिजिटल गांव 62

12.8. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क 62

12.9 साउथ एशिया ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर (SARTTAC) 62

12.10. CERT-FIN 62

VISION IAS

7. कृषि

(AGRICULTURE)

7.1. सिंचाई परियोजनाओं में प्रगति

(Developments in Irrigation Projects)

7.1.1. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

(Central Assistance Under AIBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है।
- इन सिंचाई परियोजनाओं में इन राज्यों के **सूखा प्रभावित जिले** सम्मिलित किए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और साथ ही इनका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को सीमित करना भी है।
- पहचानी गई 99 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) का गठन किया गया है।
- HLEC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अन्य घटकों की भी निगरानी करेगी और मध्यकालिक सुधार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) सहित वर्तमान में चल रही बड़ी/मध्यम सिंचाई (MMI) परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु **1996-97** में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का शुभारंभ किया था।

7.1.2. लॉन्ग टर्म इरीगेशन फण्ड

(Long Term Irrigation Fund)

- नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंडरूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा चरणबद्ध तरीके से बाजार से 77,000 करोड़ रुपये जुटाए जायेंगे।
- जुटाए गए धन से अगले चार वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMSKY) के अंतर्गत 56 सूखा-प्रवण क्षेत्रों सहित प्राथमिकता वाली लगभग 100 सिंचाई परियोजनाओं को फण्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता के उपयोग पर और अधिक ध्यान देने के साथ ही अनुमानतः 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है।
- कुल परियोजनाओं में से 26 महाराष्ट्र में, 14 मध्य प्रदेश में और 11 तेलंगाना में पूरी की जाएँगी।

फंड के लाभ

- इसका फोकस फील्ड स्तर पर सिंचाई क्षेत्र में निवेश के अभिसरण(कन्वर्जेन्स) पर होगा। इसके साथ ही अन्य फोकस सिंचाई के अंतर्गत कृषित भूमि के विस्तार पर भी होगा।
- जल की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों को और अधिक मात्रा में अपनाना। कृषि के इस पहलू को कवर करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना।

7.1.3. पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

(Pattiseema Lift Irrigation Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में आंध्र प्रदेश के **पश्चिमी गोदावरी जिले** में गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने के लिए पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

- यह दक्षिण भारत की **पहली** नदी जोड़ो परियोजना है।

आवश्यकता

- रायलसीमा में पानी और वर्षा की कमी है तथा यह दक्षिण भारत के गंभीर सूखा पीड़ित स्थानों में से एक है।
- दूसरी ओर, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है।
- प्रति वर्ष, 3000 TMC की अनुमानित जलराशि गोदावरी नदी से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है।
- इस अपव्यय की एक छोटी सी मात्रा का उपयोग रायलसीमा को सूखे से मुक्त कर देगा।

परियोजना के बारे में

- परियोजना की आधारशिला 29 मार्च, 2015 को रखी गई थी और इसे एक वर्ष के रिकॉर्ड निर्धारित समय में पूरा किया गया।
- यह भारत में निर्मित अभी तक की सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाली नदी जोड़ो मेगा परियोजना है।
- परियोजना की लागत 1300 करोड़ होने का अनुमान है।
- इसके द्वारा 7 लाख एकड़ के लिए सिंचाई जल उपलब्ध होगा जो कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र और रायलसीमा क्षेत्र के किसानों को करोड़ों की अतिरिक्त कृषि उपज प्रदान करेगा।
- वृहद् पोलावरम परियोजना के अलावा सरकार नागवली और वंसधारा नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रही है।

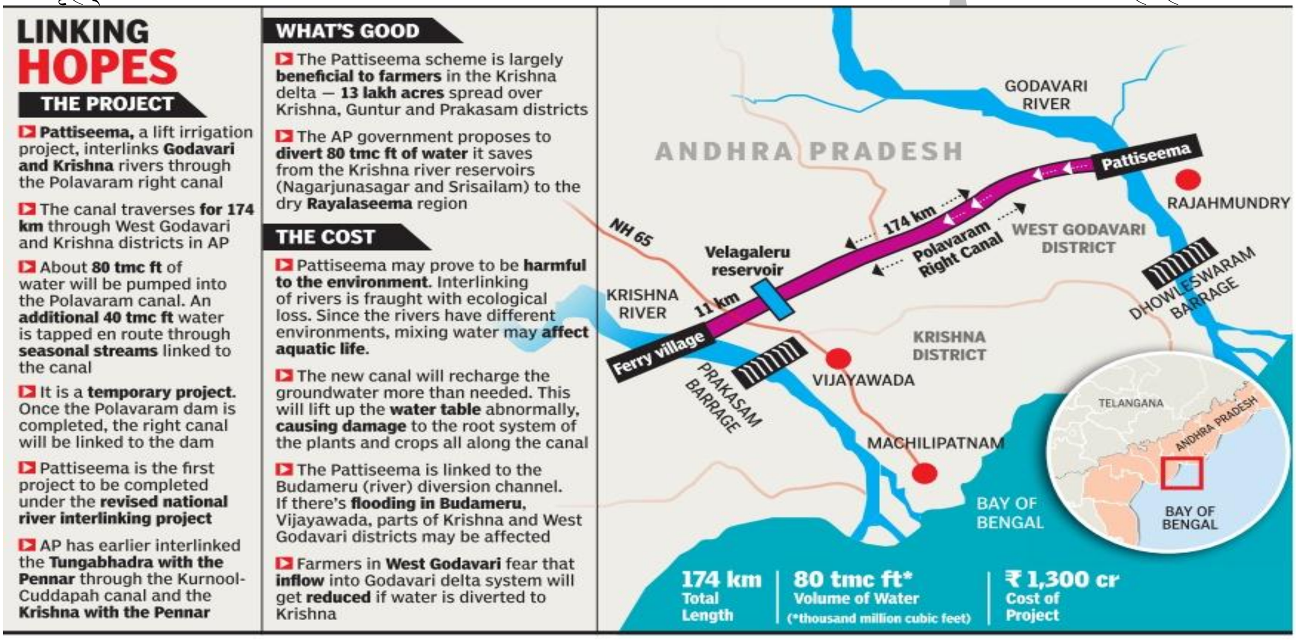

7.2. कृषकों को वित्तीय सहायता

(Financial Assistance to Farmers)

7.2.1.कृषि कल्याण उपकर

(Krishi Kalyan Cess)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2016 में 0.5% के कृषि कल्याण उपकर की घोषणा की गयी थी। यह अब लागू हो गया है।

यह क्या है?

- कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू है। कृषि और किसान कल्याण से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण में इस उपकर का पूर्णतया उपयोग किया जायेगा।

कर, उपकर, अधिभार और लेवी के बीच अंतर

- **कर:** किसी भी आर्थिक गतिविधि के एवज में सरकार द्वारा उगाहे जाने वाले धन को कर कहते हैं।
- **लेवी** टैक्स लगाने की क्रिया है।
- किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उगाहे जाने वाले कर को **"उपकर"** कहते हैं। यह एक प्रकार से कर के ऊपर कर होता है।
- **अधिभार** किसी भुगतान किये हुए कर पर एक प्रभार होता है, सरकार इसे कहीं भी खर्च कर सकती है।
- **ड्यूटी:** यह वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है।

7.2.2. किसानों के लिए ब्याज में छूट सम्बन्धी योजना

(Interest Subvention Scheme for Farmers)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए किसानों हेतु ब्याज में छूट संबंधी योजना (इंट्रेस्ट सब्वेन्शन स्कीम) को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए 18,276 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- केन्द्र सरकार वर्ष 2016-17 के दौरान किसानों के लिए एक वर्ष की अल्पावधि वाले 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर 5% की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। किसानों को इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर के रूप में केवल 4% का भुगतान करना होगा।
- जिन छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज की कटाई के बाद भंडारण के लिए 9% की ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता है, उन्हें राहत प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार ने ब्याज 2% की सहायता को मंजूरी दी है; अर्थात् 6 महीने तक के ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर 7%होगी ।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पहले वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राशि पर बैंकों को 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- अगर किसान अल्पावधि फसल ऋण समय पर न चुका पाएं तो वे उपर्युक्त 5% की दर के स्थान पर 2% की ब्याज सहायता के पात्र होंगे।

7.2.3. चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी हेतु फार्मूला

(Formula for Production Subsidy to Sugar Mills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2015-16 के लिए चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी की गणना के लिए एक नए फार्मूले को मंजूरी दे दी है।
- यह कदम वस्तुतः चीनी के उत्पादन और निर्यात में कमी आने के बाद उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

- यह सब्सिडी इस शर्त पर घोषित की गई थी कि मिलें 40 लाख टन के निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करेंगी।
- पिछली सब्सिडी योजना को 19 मई 2016 से बंद कर दिया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- इथेनॉल सम्मिश्रण वस्तुतः **पेट्रोलियम के साथ इथेनॉल** का सम्मिश्रण है।
- वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदुषण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा यह कच्चे पेट्रोलियम के आयात बोझ को भी कम करता है।
- भारत में वर्ष **2001** में ही इसका आरम्भ कर दिया गया था ।
- इथेनॉल चीनी उद्योग के उप-उत्पादों में से एक है**।** यही कारण है कि चीनी मिलों द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है।

इसके बारे में

- उत्पादन सब्सिडी की गणना के लिए निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य में संशोधन किया गया है।
- प्रारंभ में, प्रत्येक टन **"गन्ने की अनुमानित पेराई"** के लिए 15.70 किलोग्राम चीनी को निर्यात कोटा लक्ष्य के तहत रखा गया था;किन्तु अब इसे प्रत्येक टन "गन्ने की वास्तविक पेराई" हेतु 15.70 किलोग्राम कर दिया गया है।
- **एथेनॉल आपूर्ति के लक्ष्य** को संशोधित किया जाएगा, तथा इसे मिलों द्वारा **तेल विपणन कंपनियों (OMCs)** को की जाने वाली आपूर्ति की वास्तविक मात्रा तक लाया जाएगा।
- उक्त संशोधन के प्रभाव में आने से चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी पहले के अनुमानित 1,147.5 करोड़ रुपये से घटकर 600 करोड़ रुपये हो जाएगी।

VISION IAS

7.3. कृषकों की सहायता में ई-टेक

(E-Tech in Aid of Farmers)

7.3.1. ई-लाभ

(E-Laabh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लक्षित लाभार्थियों को LPG की भांति सब्सिडी का नकद भुगतान करने हेतु पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग ने एक ई-लाभ सॉफ्टवेयर लांच किया है।

सुनंदिनी योजना

- यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें डेयरी किसानों को सब्सिडी प्राप्त चारा, दो मादा बछड़ों की स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा ।
- इस योजना के द्वारा किसानों को दो वर्ष तक चारे की आपूर्ति की जाएगी।

7.3.2. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

(Direct Benefit Transfer In Fertilizer Sector)

सुखियों में क्यों?

- उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) हेतु 16 जिलों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

उर्वरक क्षेत्र DBT के लिए उपयुक्त क्यों है?

- उर्वरक क्षेत्र में लगभग 40% का अत्यधिक लीकेज हैं।
- उर्वरक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण है। ऐसे में यह प्रशासकीय जटिलता को कम करता है।
- उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के लिए सरकार के पास एक **रियल टाइम फ़र्टिलाइज़र मॉनिटरिंग सिस्टम** है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में उर्वरक क्षेत्र को DBT के क्रियान्वयन के लिए आदर्श क्षेत्र माना गया है। यहाँ DBT के लिए निम्न को लागू किया जाएगा;
- DBT को नगद के रूप में प्रदान करना
- **बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक (BAPU)**- पहचान प्रमाणन के लिए आधार का उपयोग और शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सब्सिडी वाली वस्तुएं प्राप्त करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

DBT योजना 2013 में निम्न उद्देश्यों से प्रारंभ की गई थी:

- सूचना / निधि के सरल और तीव्र प्रवाह के लिए सरकारी वितरण प्रणाली को सुधारना।
- दोहराव और धोखाधड़ी को रोककर लक्षित लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करना।
- DBT कार्यक्रमों को लागू करने के लिए योजना आयोग के अंतर्गत DBT मिशन का सृजन किया गया था।
- 2015 में, इसे कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय और PG) के तहत रखा गया था।
- JAM अर्थात् जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों द्वारा DBT के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

उर्वरक क्षेत्र में कुछ अन्य सुधार

- **नीम कोटेड यूरिया-** यह यूरिया के कृषि उपयोगों से विपथन को रोकता है और मृदा में नाइट्रोजन के निक्षालन को भी कम कर देता है।
- **गैस प्राइस पूलिंग-** इसके तहत, उर्वरक संयंत्रों हेतु एक समान दर रखने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत को आयातित LNG की लागत के साथ संतुलित या पूल (pool) किया जाता है।

उर्वरक क्षेत्र में DBT की विशिष्टता

- LPG में DBT के माध्यम से लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी के बजाय सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी।
- सब्सिडी की दर विभिन्न उर्वरकों के साथ-साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच परिवर्तित होती है।

7.4. पोस्ट-हार्वेस्ट हानि कम करने हेतु किये गए पहल

(Initiatives to Reduce Post-Harvest Losses)

7.4.1. कृषि विकिरण केंद्र

(Agro Irradiation Centers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और रूस ने भारत में एकीकृत विकिरण केंद्रों की स्थापना में सहयोग करने के लिए सहमति जताई है।
- पहले चरण में, महाराष्ट्र में सात केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका अहमदनगर जिले में राहुरी पर वर्तमान केन्द्र के अपग्रेडेशन के साथ शुभारंभ होगा।
- कृषि विकिरण केंद्र वह केंद्र है जहां खाद्य उत्पादों को कीटाणुओं और कीड़ों से मुक्त करने के लिए कम मात्रा में विकिरण से गुजारा जाता है जिससे उनकी दीर्घायुता (लोंगेविटी) और शेल्फ जीवन में वृद्धि होती है।

7.4.2. कोल्ड चेन योजना

(Cold Chain Scheme)

- खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और परिरक्षण अवसंरचना हेतु एक केंद्रीय योजना का 2008 से ही क्रियान्वयन कर रहा है।
- यह योजना मुख्यतः **निजी क्षेत्र** द्वारा संचालित है।
- सामान्य क्षेत्रो में यंत्र और मशीनों तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 50% तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशो एवं दुर्गम क्षेत्रो (उत्तर-पूर्वी राज्यो, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 75% वित्तीय सहयोग दिया जाता है।
- प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान राशि 10 करोड़ है।
- एकीकृत कोल्ड चेन और परिरक्षण अवसंरचनाएं व्यक्तिगत रूप से, उद्यमियों के समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सेवी समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), NGOs, केंद्रीय/राज्य सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमो इत्यादि द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।

7.5. दलहन

(Pulses)

7.5.1. दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

(MSP for Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बाद दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 425 रुपये प्रति क्विंटल (200 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस सहित) तक की वृद्धि की घोषणा की।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

यह वह दर है जिस पर भारतीय खाद्य निगम(FCI) जैसी सरकारी एजेंसियाँ और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली अन्य एजेंसियाँ किसानों से अनाज खरीदती हैं। इसके अलावा इसे बाजार में बेंचमार्क कीमतों के रूप में भी माना जाता है।

लाभ

- किसान दलहन की खेती की तरफ आकर्षित होंगे। दलहन फसलें उर्वरक और कीटनाशकों के नगण्य उपयोग और उत्पादन की उच्च क्षमता के साथ, उत्पादन की सबसे कम लागत वाली फसलें होती हैं। वे देश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप हैं।

©Vision IAS

- दालों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए यह उसके क्षेत्रफल और निवेश को बढायेगा।
- बढ़ती श्रम और कच्चे माल की लागत के संदर्भ में कीमत वसूल होगी।
- भारत में दालों का आयात 45-50 लाख टन के उच्चतम स्तर पर है; इसमें भी कमी आएगी।
- धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ 50 रुपये की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप धान और गेहूं की तुलना में दलहन किसानों को अधिक आकर्षित करेगी।

7.5.2. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि

(Government Raises Buffer Stock of Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दालों की **बफर स्टॉक सीमा** को दोगुने से अधिक बढ़ा कर उसे 8 लाख टन से 20 लाख टन करने के फैसले को फैसले को मंजूरी दे दी।

महत्व

- इससे दालों की खुदरा कीमतों में उछाल के मामले में सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच बार-बार आने वाले अंतर की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
- इससे बफर स्टॉक में वृद्धि कर इसे **घरेलू खपत के कम-से-कम 10% तक** लाने में मदद मिलेगी।
- इससे दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू किसान प्रोत्साहित होंगे।
- यह कदम जमाखोरों को भंडारण करने से रोकेगा और **दालों के मूल्यों में कृत्रिम उछाल से राहत** दिलाएगा।

साधन

- **'मूल्य स्थिरीकरण कोष'** योजना के माध्यम से वित्तीयन।
- केंद्रीय एजेंसियों **(FCI, NAFED और SFAC)** या **राज्य सरकारों** द्वारा खरीद।
- बाजार मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में जो भी उच्च है उसके आधार पर खरीद।
- 20 लाख टन के बफर स्टाक में 10 लाख टन की घरेलू खरीद शामिल होगी और शेष भाग विभिन्न सरकारों के मध्य होने वाले अनुबंधों तथा वैश्विक बाज़ार से तात्कालिक खरीद द्वारा पूरा किया जाएगा।

7.5.3. पूसा अरहर 16

(Pusa Arhar 16)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट: IARI) के वैज्ञानिकों द्वारा एक उच्च पैदावार वाली अरहर की किस्म, पूसा अरहर 16 का विकास किया गया है।
- इस नई किस्म के, जनवरी 2017 से उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने की आशा है।

पृष्ठभूमि

- भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है।
- अरहर या तुअर भारत में उपभोग की जाने वाली सर्वप्रमुख दालों में से एक है।
- अपर्याप्त उत्पादन के कारण वर्ष 2015 में अरहर की कीमत 200 रुपये/किलोग्राम तक पहुँच गयी थी। फलस्वरूप आयात में वृद्धि हुई।

लाभ

- वर्तमान में प्रयुक्त किस्मों की 160-270 दिनों की परिपक्वता अवधि के बजाय इस नयी किस्म की परिपक्वता अवधि 120 दिनों की है।
- इसे जल की कम आवश्यकता होती है और साथ ही यह यंत्रीकृत कटाई के लिए भी उपयुक्त है।
- वर्तमान में प्रचलित किस्मों (पौधे की ऊंचाई 2 मीटर) की तुलना में नयी किस्म (95 सेमी-120 सेमी) की उंचाई अत्यधिक कम होने के बावजूद, यह (नयी किस्म) प्रचलित किस्मों की तरह ही प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल पैदावार देती है। यह उच्च पैदावार वस्तुतः उच्च घनत्व वाले रोपण के परिणामस्वरुप है।
- पारंपरिक किस्मों में फूल एक साथ फली (pods) नहीं बनाते हैं, जबकि पूसा अरहर-16 में समकालिक (synchronous) परिपक्वता पाई जाती है। एक साथ परिपक्व होने के कारण कटाई करना आसान हो जाता है।

- यह पंजाब जैसे गहन कृषि वाले राज्यों और साथ ही मध्य भारत के वर्षा सिंचित क्षेत्रों दोनों के लिए उपयुक्त है।
- यह नयी किस्म भारत को अगले 2-3 वर्षों में दाल की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद कर सकती है।
- पर्याप्त उत्पादन मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने में मदद कर सकती है और मुद्रास्फीति से चिंतित नीति निर्माताओं को यह राहत प्रदान कर सकती है।

7.6. मत्स्यन

(Fisheries)

7.6.1. मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन

(Integrated Development and Management of Fisheries)

- इस योजना का उद्देश्य एक्वाकल्चर तथा अंतर्देशीय तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्रो के संसाधनों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और मत्स्य उत्पादकता दोनों में वृद्धि करना है।
- भारत मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हालाँकि यह चीन से एक बहुत बड़े अंतर से पीछे है। भारत झींगा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है।

- नीली क्रांति की परिकल्पना मत्स्य पालन क्षेत्र के परिवर्तन, निवेश बढाकर, बेहतर प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओ के विकास द्वारा की गयी है।
- नीली क्रांति मछली पकड़ने के नए तटो, मछली पकड़ने की नौकाओं के आधुनिकरण, मछुवारो को प्रशिक्षण देने के लिए थी। तथा साथ ही यह इन गतिविधियों के माध्यम से मत्स्यन को एक स्वनियोजित वैश्विक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित थी।

मुख्य बिंदु

- इसका लक्ष्य मत्स्य उत्पादन के वर्तमान स्तर 107.95 लाख टन (2015-16) से 2019-20 के अंत में 150 लाख टन तक पहुचने का है।
- इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य उत्पादकों के बढे हुए लाभ प्रवाह के माध्यम से उनकी आय को दुगुना करना है ताकि इस क्षेत्र में निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाया जा सके।
- इस योजना के निम्नलिखित घटक है:-

✓ **राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (NFBD)** और इसकी गतिविधियां
✓ मत्स्य पालन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास
✓ समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस का विकास
✓ मत्स्य पालन क्षेत्र के डेटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
✓ मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था
✓ निगरानी, नियंत्रण और चौकसी (MCS) तथा अन्य आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप
✓ राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर पशुपालन विभाग, डेरी और मत्स्य पालन, कृषि मंत्रालय तथा मत्स्य पालन के विकास के लिए किसान कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की गयी थी।

7.6.2. एक्वाकल्चर को बढ़ावा

(Push for Aquaculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?:

भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (IISS) का आयोजन विशाखापत्तनम में 23-25 सितंबर को किया गया। इसका थीम **"सुरक्षित और सतत भारतीय एक्वाकल्चर" (Safe and Sustainable Indian Aquaculture)** था।

VISION IAS

एक्वाकल्चर क्या है?

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, "एक्वाकल्चर का अर्थ मछली, सीप, क्रसटेशियन और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है"।
- विशेष प्रकार की जलीय कृषि में मछली की कृषि, झींगा कृषि, सीप कृषि, सागरीय कृषि, एल्गाकल्चर (जैसे कि समुद्री शैवाल कृषि), और सजावटी मछली की कृषि शामिल है।
- एक्वापोनिक्स और एकीकृत बहु-स्तरीय मत्स्य पालन जैसे विशेष तरीके जो मत्स्य पालन और वनस्पति कृषि दोनों को एकीकृत करते हैं।

7.6.3. WTO में मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दा

(Issue of Fisheries Subsidies in WTO)

- भारत विश्व व्यापर संगठन के अन्य सदस्यो जैसे दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी, कैरेबियाई तथा पैसिफिक देशो के समूह के साथ विकासशील देशों तथा कम विकासशील देशो के लिए प्रभावी, विशेष और विशिष्ट (S&D) प्रबंधन का प्रयास कर रहा है ।
- इसके लिए विकास की आवश्यकताओं , गरीबी घटाने,आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

विशेष और विभेदीकृत व्यवहार

- WTO समझौते में कुछ विशेष प्रावधान है जो विकासशील देशो के लिए विशेष अधिकार और शेष अन्य सदस्यो द्वारा उन्हें और अधिक सहयोग करने की स्वीकृति देते हैं-
- विशेष प्रावधानों में सम्मिलित है:

✓ समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी अवधि
✓ इन देशो के व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय
✓ सभी WTO सदस्यो द्वारा विकासशील देशो के व्यापारिक हितो की रक्षा के लिए प्रावधान की आवश्यकता
✓ विकासशील देशो को WTO के कार्यो का उत्तरदायित्व लेने, विवादों का निपटान करने तथा तकनीकी मानकों के क्रियान्वयन हेतु अवसंरचना निर्माण में मदद करना
✓ अत्यल्प विकसित सदस्य देशों (LDCs) से सम्बंधित प्रावधान

7.7. कृषि उपज में विकल्प

(Options in Agricultural Produce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

SEBI ने हाल ही में कृषि उपज सहित चयनित वस्तुओं में विकल्प व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

यह क्या है?

विकल्प एक वित्तीय डेरीवेटिव होता है जिसमें एक पक्ष अपना अनुबंध दूसरे पक्ष को बेचता है। इसमें बेचनेवाला पक्ष क्रेता को बिना किसी बाध्यता के पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर प्रतिभूति खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करता है।

समीक्षा

- किसानों को इससे सुरक्षा प्राप्त होगी क्योंकि सरकार द्वारा केवल गेहूं, चावल और गन्ने के लिए निश्चित कीमतें निर्धारित की जाती हैं। अतः ऐसे में वे वे स्थिर मूल्य व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।
- इसके अतिरिक्त, विकल्प किसानों को भविष्य में खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, किन्तु ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।अतः इससे निर्णय लेने में एक प्रकार का लचीलापन आएगा ।

7.8. कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- नए बजट में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच का प्रयोग करके कृषि उत्पादों के स्पॉट और डेरीवेटिव बाजार के एकीकरण का सुझाव दिया गया है।

VISION IAS

स्पॉट मार्किट- यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाता है-

- ख़ास कमोडिटीज़ जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, धातु तथा बुलियन के क्रय-विक्रय को
- यह **स्पॉट डिलेवरी कॉन्ट्रैक्ट** उपलब्ध कराता है जो तात्कालिक अनुबंध होते हैं या जो 11 दिनों की अवधि में होते हैं।

डेरीवेटिव मार्किट- डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध होते है जो अपना मूल्य आधारभूत परिसंपत्ति (undelying asset) से प्राप्त करते है।

- ये स्टॉक, सूचियां,कमोडीटीज़, मुद्रा विनिमय दरे अथवा ब्याज दर हो सकते है।
- यह आधारभूत परिसंपत्ति के भविष्य के मूल्य पर सट्टेबाजी के द्वारा लाभ कमाने में मदद करते हैं।

महत्व-

स्पॉट और डेरीवेटिव बाज़ार के एकीकरण से निम्नलिखित लाभ होंगे:-

- कमोडिटीज की डिलिस्टिंग की अनिश्चितता का अंत।
- यह किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा।

7.8.1. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन

(APMC: De-Notification of Few Items)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि APMC के तहत अधिसूचित शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को सूची से हटाने के लिए राज्यों से आग्रह किया जाएगा।

निर्णय का सकारात्मक प्रभाव

- यह किसानों को उनके उत्पाद सीधे बेचने और **बेहतर कीमतें** प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
- **खाद्य मुद्रास्फीति में कमी-**क्योंकि इससे APMC द्वारा अधिरोपित कई प्रशुल्कों (मंडी कर, बहुल शुल्क इत्यादि) के तथा एजेंटों के कमीशन के कास्केडिंग इफ़ेक्ट में कमी आएगी।
- **उपज-पश्चात हानि कम** होगी।
- इससे फलों और सब्जी क्षेत्र में **अनुबंध कृषि** को बढ़ावा मिलेगा। यह कंपनियों को अभिनव प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने, उत्कृष्ट कृषि तौर तरीकों को अपनाने और किसानों को कृषि सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, कृषि उत्पाद बाजारों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- यह अधिनियम क्षेत्र में उत्पादित कृषि वस्तुओं जैसे अनाज, दालों, खाद्य तिलहन और यहां तक कि मुर्गा, बकरी आदि को अधिसूचित करता है।
- इन वस्तुओं में पहली बिक्री APMC के तत्वावधान में, इसके द्वारा लाइसेंस प्रदत्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से ही की जा सकती है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए पहली बार 2003 में मॉडल APMC अधिनियम को प्रसारित किया था। फिर भी, लगभग 50% राज्यों ने अपने संबंधित कृषि विपणन अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं।

7.8.2. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक

(Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index)

यह क्या है?

- **नीति आयोग** ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के श्रेणीकरण के लिए पहली बार **"कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक"** का शुभारंभ किया है।

केंद्र सरकार ने पहली बार **2003** में **APMC** अधिनियम के माध्यम से APMC या थोक बाजार (मंडियों) में सुधारों का शुभारंभ किया था। इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसे अपनाने का आग्रह भी किया था क्योंकि कृषि विपणन संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है।

विशेषताएं और रैंकिंग

- आकलन करने के लिए प्रयुक्त संकेतक कृषि बाजारों में **प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

VISION IAS

- यह रैंकिंग मॉडल APMC अधिनियम के तहत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन, eNAM पहलों में सम्मिलित होने, फलों और सब्जियों के विपणन के लिए विशेष उपचार तथा मंडियों में करों के स्तर पर आधारित है।
- सूचकांक में सम्मिलित अन्य मानदंडों में पट्टेदार किसानों के लिए कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और अपनी भूमि के पेड़ काटने और ढोने की किसानों की स्वतंत्रता से सम्बंधित है, जो उनके लिए आय के विविधिकरण को लाना संभव बनाती है।
- इस **सूचकांक** में "0" (अर्थात चयनित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं है) से लेकर"100" (अर्थात चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार है) के तक स्कोर हैं और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचकांक में स्कोर के संदर्भ में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- **महाराष्ट्र** ने विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में **पहला** स्थान प्राप्त किया है ,क्योंकि इसने अधिकांश विपणन सुधारों का कार्यान्वयन कर लिया है और कृषि व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है।
- **गुजरात दूसरे** स्थान पर है जिसके निकट ही राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
- दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बाद **पुडुचेरी को निम्नतम** स्थान मिला है।

प्रस्तावित कृषि सुधार

नीति आयोग ने भी **कृषि सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों** की पहचान की है, ये सुधार हैं:

- **कृषि बाजार सुधार**
- **भूमि पट्टा(लीज़) सुधार**
- **निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार**

7.8.3. मेगा फ़ूड पार्क

(Mega Food Parks)

- मेगा फ़ूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 से लागू की गयी है ।निजी
- इसका लक्ष्य किसानों, संसाधकों और खुदरा व्यापारियों को साथ लेकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने का तंत्र उपलब्ध कराना है।
- इसका उद्देश्य अधिकतम मूल्य संवर्धन, नुकसान को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है ।
- यह 'क्लस्टर" दृष्टिकोण पर आधारित है । यह अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ आधारभूत संरचना का समर्थन तथा सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एक सुव्यवस्थित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण जोन की सम्भावना की तलाश करता है ।
- मेगा फ़ूड पार्को की स्थापना, मूल्य संवर्धन के साथ खेतों से बाजार तक के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।
- मेगा फ़ूड पार्क कम से कम 50 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित होने चाहिए ।

7.9. PMFBY की समीक्षा

(Review of PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने प्रकृति के प्रकोप से किसानों को कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2016 में **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना** का शुभारम्भ किया। हाल ही में इसके प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

पृष्ठभूमि

- PMFBY के शुभारंभ से पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(**NAIS**) एवं संशोधित NAIS योजनाएं किसानों की सहायता कर रही थी।
- हालांकि, ये योजनाएं किसानों की अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थीं ।
- इन योजनाओं के तहत बीमा राशि अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, किसानों को मुआवजे मिलने में भी कई महीने लग गए।

VISION IAS

PMFBY कैसे काम करता है?

- प्रत्येक जिले में एक तकनीकी समिति किसानों द्वारा वहन की गयी सम्पूर्ण लागत को ध्यान में रखते हुए बीमा की राशि को निर्धारित करती है।
- प्रीमियम का निर्धारण गणितीय एवं सांख्यिकीय गणनाओं के माध्यम से संलग्न जोखिम के आकलन अर्थात बीमांकिकी विश्लेषण (acturial analysis) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रीमियम पर उपरी सीमा भी निर्धारित की गयी है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों बीमा कंपनियां एक साथ प्रीमियम तय करती हैं। तत्पश्चात प्रीमियम पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- किसान को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% एवं वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% का भुगतान करना पड़ता है। शेष राशि का भुगतान सरकार (केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित) द्वारा किया जाता है।
- परिशुद्धता, पारदर्शिता एवं क्षति के त्वरित आकलन तथा दावो (claims) का निपटान करने के लिए स्मार्टफोन, जीपीएस, ड्रोन और उपग्रहों सहित उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा।

PMFBY का अब तक का प्रदर्शन

- PMFBY ने NAIS एवं MNAIS के तहत संयुक्त रूप से खरीफ 2013 में 12.1 करोड़ में से केवल 2.54 करोड़ तथा खरीफ 2015 में केवल 3.55 करोड़ किसानों का बीमा किया।
- PMFBY के तहत बीमित क्षेत्र, खरीफ 2013 के 16.5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तथा खरीफ 2015 के 27.2 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 37.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

7.10. बागानी क्षेत्र के लिए पहल

(Initiatives for Plantation Sector)

7.10.1. बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)

(Revenue Insurance Scheme For Plantation Crops: RISPC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने **बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)** को मंजूरी दी है।

बागानी फसल के विषय में

- बागानी फसलें वे फसलें होती हैं जिनकी खेती व्यापक पैमाने पर एवं विशाल संलग्न क्षेत्र (large contiguous area) में की जाती है। इसका स्वामित्व और प्रबंधन एक व्यक्ति या एक कंपनी द्वारा किया जाता है।
- मुख्य बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबर, नारियल, आयल पाम, काजू, सुपारी आदि शामिल हैं।
- ये बागानी फसलें अत्यधिक आर्थिक महत्व की उच्च मूल्य वाणिज्यिक फसले हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इनकी **निर्यात क्षमता अधिक** होती है। ये **रोजगार अवसरों** का सृजन करती हैं एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **गरीबी उन्मूलन** में सहायता करती हैं।

RISPC के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को विभिन्न जोखिमों जैसे फसल हानि, कीट हमलों और अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है।
- इस योजना को पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और सिक्किम में 2 वर्षों के लिए पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत तंबाकू सहित विभिन्न बागानी फसलों को कवर किया जाएगा।
- योजना के प्रदर्शन के आधार पर, इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जाएगा।
- इस योजना को 2013 में समाप्त की गई **मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना** का उन्नत संस्करण माना जा सकता है।

VISION IAS

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

- यह योजना वाणिज्य मंत्रालय के तहत **2003** में आरम्भ की गयी थी (2013 में समाप्त) और इसके अंतर्गत सभी बागान फसलों को शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था।

7.11. कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं

(Other Schemes Related to Agriculture)

7.11.1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(RKVY)

(Rashtriya Krishi Vikas Yojana: RKVY)

- RKVY का आरम्भ 2007-08 में 11वी पंचवर्षीय योजना के तहत 4% वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के साथ किया गया था।
- यह एक राज्य नियोजित योजना है जिसके लिए राज्यो को 100% अनुदान के अतरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- प्रत्येक जिले/राज्य को जिला/राज्य कृषि योजना तैयार करनी होती है।
- RKVY के तहत 6 योजनाएं क्रियान्वित की जाती है:
- ✓ पूर्वी क्षेत्रो में हरित क्रांति लाना
- ✓ वनस्पति क्लस्टरों पर पहल
- ✓ प्रोटीन पूरकों के लिए राष्ट्रीय मिशन
- ✓ केसरिया मिशन
- ✓ विदर्भ गहन सिचाई विकास कार्यक्रम
- ✓ फसल विविधिकरण

7.11.2. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन

(Mission for Integrated Development of Horticulture)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- 12वी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका लक्ष्य देश में बागवानी का सम्पूर्ण विकास करना है।
- 2014-15 से आरम्भ की गयी यह योजना वर्तमान में चल रही योजनाओ को एकीकृत करती है;
- ✓ राष्ट्रीय बागबानी मिशन- चुने हुए राज्यो में राज्य बागवानी मिशन द्वारा लागू की गयी है।
- ✓ उत्तर पूर्वी तथा हिमालय के राज्यो के लिए बागबानी मिशन- उत्तर पूर्वी राज्यो तथा हिमालयी राज्यो में राज्य बागबानी मिशन द्वारा लागू की गयी है ।
- ✓ राष्ट्रीय बांस मिशन- राज्य बांस विकास एजेंसियों (BDA)/ वन विकास एजेंसी(FDA) द्वारा सभी राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशो में लागू की गयी है।
- ✓ राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड
- ✓ नारियल विकास बोर्ड
- ✓ सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, नागालैंड

7.11.3. आर्य

(ARYA)

100 ग्रामीण युवाओ को 4 पंजीकृत कमोडिटी आधारित समूहों की स्थापना के लिए इंक्युबेटर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक में 25 की सदस्य संख्या वाले ये समूह नारियल और केले की कृषि तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण की स्थापना के लिए गठित किये गए हैं।

VISION IAS

आर्य के बारे में

- अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर (ARYA) का लक्ष्य विभिन्न कृषि, सम्बद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमो के लिए सतत आय और लाभकारी रोजगार को अपना कर ग्रामीण क्षेत्रो में युवाओ को आकर्षित करना और सशक्त बनाना है।
- यह संसाधन एवं पूँजी गहन गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के आरम्भ के लिए ग्रामीण युवाओ को नेटवर्क समूहों की स्थापना के योग्य बनाता है।
- यह 25 राज्यो के हर एक जिले में KVKs द्वारा लागू किया गया है।

7.11.4. सेन्सएग्री

(SENSAGRI)

- यह **"सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रिकल्चर"** का संक्षिप्त रूप है।
- यह भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (IARI) के माध्यम से तैयार की गयी एक सहयोगी अनुसन्धान परियोजना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग सेंसर (HRS)का प्रयोग करके फसल और भूमि स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए देशी ड्रोन विकसित करना है।
- यह तकनीक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए सॅटॅलाइट आधारित तकनीकी के साथ भी एकीकृत की जा सकती है।

7.12. भारतीय उर्वरक और पोषक तत्व अनुसंधान परिषद

(Indian Council for Fertilizer and Nutrient Research: ICFNR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ICFNR की स्थापना उर्वरक विभाग के अन्तर्गत उर्वरक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है।

अधिदेश (मैंडेट)

- विभिन्न शोध संस्थानों, उर्वरक उद्योग और अन्य साझीदारों के सहयोग एवं साझेदारी से उर्वरक निर्माण तकनीकी, कच्चे माल के उपयोग और उर्वरक उत्पादों में नवीनता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- विभिन्न शोध और विकास संगठनों अथवा शिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए व्यापक सुविचारित शोध और विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव के वित्त पोषण के लिए उपयुक्त सुझावों का परीक्षण करना।
- पर्यावरण अनुकूल सूक्ष्म पोषक तत्वों और पेस्टीसाइड कोटेड स्लो रिलीज़ फ़र्टिलाईजर की पहचान करना तथा उन्हें बढ़ावा देना एवं उर्वरक क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को घटाना तथा ऊर्जा दक्षता परिचालन को सुनिश्चित करना।
- आर्गेनिक तथा जैव उर्वरकों एवं उचित कोटिंग अथवा मिश्रण से युक्त उनके व्युत्पन्नों के द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने हेतु अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

8. औद्योगिक नीति और संबंधित मुद्दे

(INDUSTRIAL POLICY AND ASSOCIATED ISSUES)

8.1. खनन क्षेत्र की योजनाएं और नीतियां

(Schemes and Policies of Mining Sector)

8.1.1. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

(National Mineral Exploration Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP) को मंजूरी दे दी है।
- देश में खनिज अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए खनन मंत्रालय ने पहले से ही नेशनल **मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET)** को अधिसूचित किया है।

मुख्य विशेषताएं

- NMEP का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश में अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाना है।
- राज्य भी अन्वेषण परियोजनाओं की जानकारी देकर इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे I इन अन्वेषण परियोजनाओं को NMET के माध्यम से पूरा किया जायेगा।
- NMEP में प्रस्ताव किया गया है कि क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण करने वाली निजी संस्थाओं को खनिज ब्लॉक की **ई-नीलामी** के बाद सफल बोली लगाने वाले से माइनिंग ऑपरेशन के राजस्व में से एक निश्चित हिस्सा मिलेगा।
- राजस्व का बंटवारा या तो एक मुश्त राशि में या एक वार्षिकी (annuity) के रूप में होगा, और इसका भुगतान हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ खनन पट्टे की पूरी अवधि के दौरान किया जाएगा।
- इसके लिए, सरकार द्वारा नीलामी के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण हेतु उचित क्षेत्र या ब्लॉक चिन्हित किये जाएंगे।

8.1.2. ताम्र : खनन मंत्रालय का पोर्टल

(TAMRA: Portal of Ministry of mines)

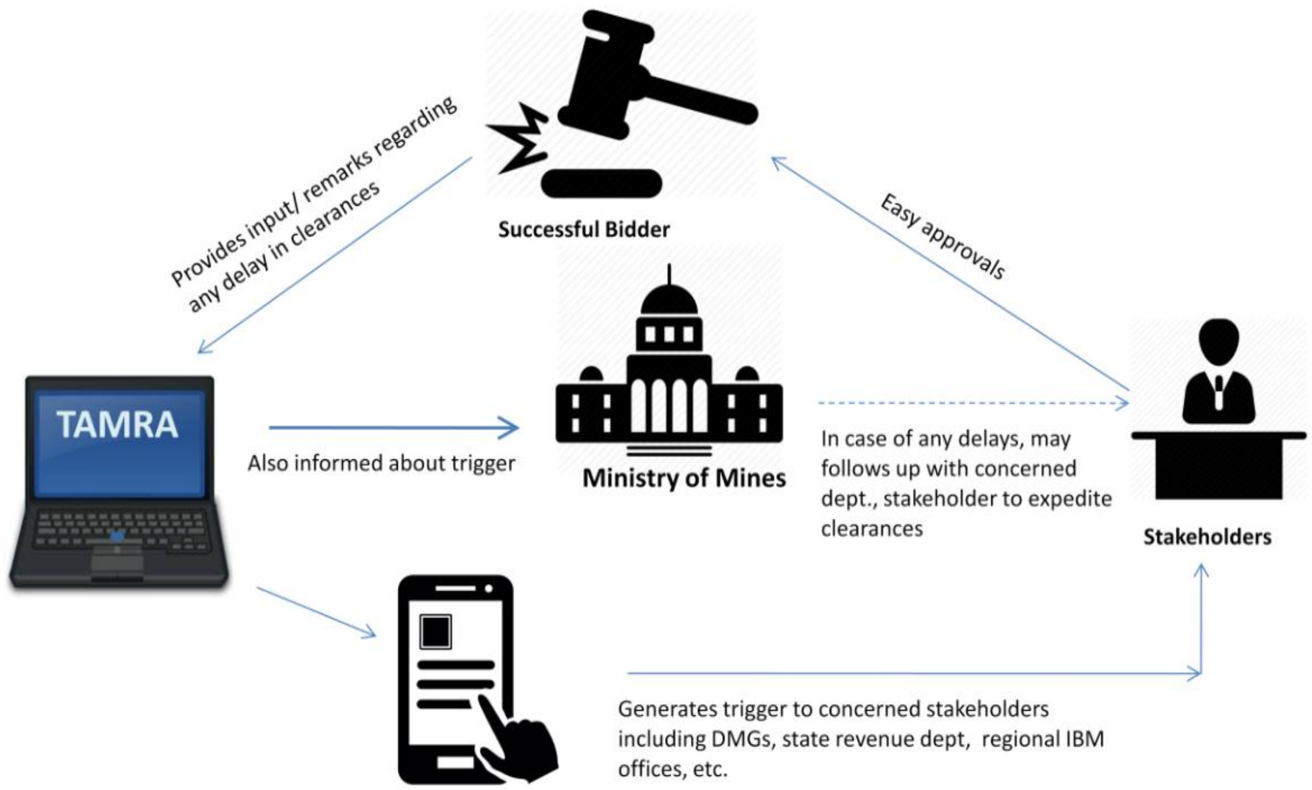

सुर्ख़ियों में क्यों?

- खनन मंत्रालय द्वारा **"ताम्र"** नामक वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्लीकेशन को विकसित एवं लांच किया गया है। खनन गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु इसका विकास किया गया है।
- TAMRA से तात्पर्य **ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन मॉनीटरिंग और रिसोर्स ऑगमेंटेशन** है।

विशेषताएं

- यह नीलामी की जाने वाली खदानों की ब्लॉक-वार, राज्य-वार और खनिज-वार सूचनाओं को प्रदर्शित करता है।
- यह प्रत्येक मंजूरी (क्लीयरेंस) की वर्तमान स्थिति की भी सूचना प्रदान करेगा।
- **महत्व:** भारतीय खनन उद्योग मंजूरी मिलने में देरी एवं खनन पट्टों के आवंटन में **पारदर्शिता** की कमी जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पोर्टल सभी हितधारकों के लिए परस्पर संवादात्मक मंच (इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराकर तथा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाकर ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सुगम बनाएगा।

8.1.3. खनन निगरानी प्रणाली

(Mining Surveillance System: MSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान के केंद्रीय राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में खनन निगरानी प्रणाली (MSS) आरंभ की है।

यह क्या है?

- MSS एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के सहयोग एवं इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस (IBM) के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सहायता से विकसित यह **विश्व की प्रथम** निगरानी प्रणालियों में से एक है।

8.2. राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा

(Draft National Steel Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय इस्पात मंत्रालय ने **राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP), 2017** का मसौदा जारी किया है। NSP मसौदे का उद्देश्य विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी एवं आत्मनिर्भर इस्पात उद्योग विकसित करना है।

महत्त्व

- चीन और जापान के बाद, भारत विश्व में फिनिश्ड इस्पात (finished steel) का **तीसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारतीय इस्पात क्षेत्र का अनुमानित मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक आँका गया है और उसका GDP में योगदान 2 प्रतिशत है।
- यह सेक्टर 6.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 13 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है।
- भारत वर्ष 2007-08 के बाद से (2013 को छोड़कर) फिनिश्ड इस्पात का लगातार आयात करता आ रहा है।
- दो वर्ष पूर्व तक भारत इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारत एक अकेली अर्थव्यवस्था है, जिसने 2015 में इस्पात क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

8.3. स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (SRTMI)

(Steel Research & Technology Mission of India)

- यह एक उद्योग संचालित पहल है। इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ इस्पात मंत्रालय एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा ।
- यह भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करेगा।

VISION IAS

- SRTMI को शासी निकाय द्वारा शासित एवं प्रशासित किया जाएगा। इसमें इस्पात के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, डोमेन एक्सपर्ट्स और इस्पात मंत्रालय के एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
- SRTMI की स्थापना के लिए प्रारंभिक कोष 200 करोड़ है। जिनमें से 50% इस्पात मंत्रालय एवं शेष इसमें भाग लेने वाली स्टील कंपनियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इसके बाद **SRTMI** का संचालन इस्पात कंपनियों के उनके पिछले वर्ष के कुल कारोबार के आधार पर दिए गये वार्षिक अंशदान से किया जाएगा।

8.4. बौद्धिक संपदा बनाम प्रतिस्पर्धा कानून

(Intellectual Property Vs Competition Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व प्रतिस्पर्धा दिवस **5 दिसंबर** को मनाया गया।
- IPR को प्रायः प्रतिस्पर्धा कानून को दरकिनार करने वाले विषय के रूप में देखा जाता है और समय-समय पर यह विवाद उठता है कि क्या यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए समान रूप से बेहतर है।

भारत ने पेटेंट अधिनियम, **1980** की धारा **84** के तहत **Nexavar** के उत्पादन के लिए **Bayer** के बजाय **NATCO** को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया है। Bayer के पास कैंसर-रोधी दवा **Nexavar** के लिए पेटेंट था।

IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) क्या है?

- बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को उनके सृजन के उपयोग के लिए दिया गया अधिकार है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- इसमें नई **दवा संयोजन/घटकों, व्यापार प्रतिरूप, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य सृजनात्मकताओं** को भी शामिल किया जा सकता है।
- बौद्धिक संपदा के कुछ पहलुओं में **पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक और औद्योगिक डिजाइन** शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा कानून क्या है?

- प्रतिस्पर्धा कानून माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बाजार बाधाओं को हटाने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है।
- भारत का प्रतिस्पर्धा कानून, **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** में बनाया गया था जिसे बाद में **2007** में संशोधित किया गया।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखता है और बढ़ावा देता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

8.5. IPR संवर्द्धन और प्रबंधन सेल

(Cell for IPR Promotion and Management :CIPAM)

- IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट सेल (**CIPAM**) का गठन DIPP के अंतर्गत एक पेशेवर संगठन के रूप में किया गया है।
- यह राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा।
- CIPAM, देश में IPR के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह सुगमता के माध्यम से IPR फाइलिंग को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें IP परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण के लिए अन्वेषकों को एक मंच प्रदान करने की बात की गई है। साथ ही इसमें सरकारी मंत्रालयों / विभागों और अन्य हितधारकों के सहयोग से राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए भी पहल की गई है।

VISION IAS

8.6 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

(National Intellectual Property Rights Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- TRIPS अनुदेशों के अनुपालन में सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा की है।

लक्ष्य:

- विपणन योग्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में IPRs को बढ़ावा देना।
- नवाचार को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक हितों की रक्षा करना।
- उचित मूल्य पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- **IPR जागरूकता: पहुँच और प्रोत्साहन** - समाज के सभी वर्गों में IPR के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना।
- **IPR का निर्माण** - IPR निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- **कानूनी और विधायी रूपरेखा** - मजबूत और प्रभावी IPR कानून का निर्माण जो वृहद् स्तर पर सार्वजनिक हित के साथ पेटेंट मालिक के हित को संतुलित करता हो।
- **प्रशासन और प्रबंधन** - सेवा उन्मुख IPR प्रशासन का आधुनिकीकरण एवं मजबूती प्रदान करना।
- **IPR का व्यावसायीकरण**- व्यावसायीकरण के माध्यम से IPR का मूल्य प्राप्त करना।
- **प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन (Enforcement and Adjudication)**- IPR उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन तंत्र को मजबूत करना।
- **मानव संसाधन विकास**- IPR में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन, संस्थाओं और क्षमताओं को मजबूत करने और विस्तारित करने हेतु।

8.7. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किए गए पहल

(Initiatives in Electronic Sector)

8.7.1. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना

(Modified Special Incentive Package Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नेट जीरो आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना' (Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS) में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

M-SIPS क्या है?

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जुलाई 2012 में तीन वर्ष की अवधि के लिए M-SIPS नीति की शुरूआत की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना एवं भुगतान (disbursement) प्रक्रिया में तेजी लाना था।
- यह नीति कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 20-25% सब्सिडी प्रदान करके घरेलू स्तर पर उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- बजट 2017-18 में सरकार ने इस योजना के लिए फंड आवंटन में वृद्धि की है।

VISION IAS

8.7.2. एलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क

(Electropreneur Park)

यह क्या है?

- यह हाल ही में प्रारम्भ की गई एक पहल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) द्वारा वित्त पोषित है।
- इसका प्रबंधन और क्रियान्वयन क्रमशः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (**STPI**) और इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण वाले 50 स्टार्ट-अप्स का पोषण करना और 5 वर्षों में कम-से-कम 5 वैश्विक कंपनियों को खड़ा करना है।

8.7.3 इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट फण्ड

(Electronic Development Fund)

- यह **सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा लांच किया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रारंभिक चरण के एंजेल वेंचर और निजी इक्विटी फंड को सहायता प्रदान करना है।
- प्रारंभिक फंड 2,200 करोड़ रुपए है (10,000 करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया जायेगा)**।**
- इसका उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और विकास (R&D) एवं साथ ही सक्रिय औद्योगिक भागीदारी के माध्यम से एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है।
- यह कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड्स जैसे सक्रिय प्रबंधन फर्म के साथ एक 'फंड ऑफ फंड्स' की तरह होगा। परिणामस्वरूप इससे प्रोफेशनली मेनेज्ड वेंचर फण्ड का निर्माण होगा।
- EDF पूंजी का 20% डॉटर फण्ड में रखा जाएगा और शेष 80% का निवेश वेंचर कैपिटल(VCs.)द्वारा किया जाएगा।
- तत्पश्चात डॉटर फण्ड का निवेश मुख्य रूप से स्टार्ट-अप कंपनियों में किया जायेगा**।**

8.8. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति

(North East Industrial and Investment Promotion Policy: NEIIP)

- हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने NEIIP, 2007 में संशोधन किया है।
- NEIIP का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही इस क्षेत्र में समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
- इसकी शुरुआत 2007 में 10 वर्षों की अवधि के लिए की गयी थी।

इसकी विशेषतायें निम्न हैं:

- केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी और केंद्रीय ब्याज सब्सिडी का अनुदान**।**
- बीमा प्रीमियम की अदायगी**।**
- 100 वर्ष की अवधि के लिए एक्साइज ड्यूटी छूट।
- 10 वर्ष की अवधि के लिए आयकर छूट**।**
- पॉलिसी में संशोधन के द्वारा एक नियम बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत चीफ कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स (उद्योग) द्वारा उत्तर-पूर्व में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को DBT तंत्र के माध्यम से सब्सिडी वितरण को अनिवार्य कर दिया गया है।

8.9. सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फॉर फैसिलीटेटिंग ट्रेड: SWIFT

(Single Window Interface for Facilitating Trade)

- ***सोसायटी फॉर द वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन*** (**SWIFT**) वित्तीय लेनदेन के लिए मानकीकृत वैश्विक अन्तरक्रियाशीलता (standardized global interactivity) के प्रोत्साहन और विकास के लिए समर्पित एक **सहकारी संगठन** है।

- SWIFT का मूल अधिदेश (mandate) डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक वैश्विक संचार लिंक स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए एक आम भाषा (कॉमन लैंग्वेज) का निर्माण करना था।
- सोसाइटी दुनियाभर में सदस्य बैंकों के बीच लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट, भुगतान और प्रतिभूति लेनदेन जैसे वित्तीय संदेशों/सूचनाओं के लिए एक संदेश सेवा संचालित करती है।
- SWIFT का संचालन इसके **ब्रुसेल्स** मुख्यालय से होता है। इसके आंकडे बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रों पर तैयार किये जाते हैं।
- SWIFT इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज बैंकों, रिज़र्व बैंक ऑफ़ NOTES इंडिया, स्टॉक एक्सचेंजों, क्लीयरिंग हाउसेस, कारपोरेशंस, और उनके ग्राहकों के मध्य संरचित वित्तीय सूचनाओं के सुसंगत आदान-प्रदान करने के लिए सेवाएं शुरू कर चुकी है।

8.10. भारत का प्रथम टाइटेनियम प्रोजेक्ट

(First Titanium Project of India)

- भारत की प्रथम टाइटेनियम परियोजना ने **ओडिशा के गंजाम** जिले में अपने परीक्षण उत्पादन को शुरू कर दिया है। यह परियोजना सराफ ग्रुप द्वारा स्थापित की गई है।
- इससे पहले अगस्त 2015 में ISRO ने **केरल के चवरा में प्रथम स्वदेशी टाइटेनियम स्पंज प्लांट** की स्थापना की। इसको पूर्ण रूप से कमीशंड कर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया गया है।
- इस संयंत्र ने व्यावसायिक रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रम और विशेष रूप से एयरोस्पेस के लिए टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन शुरू कर दिया। यहाँ रक्षा एवं सामरिक क्षेत्रों के लिए टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन किया जा रहा है।
- इस कमीशनिंग के साथ ही भारत वाणिज्यिक स्तर पर टाइटेनियम स्पंज का निर्माण करने वाला विश्व का **सातवां** देश बन गया।

8.11. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(Index of Industrial Production)

  - IIP एक अनुपात है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रो के विकास को मापता है। अनुपात होने के कारण यह निश्चित समयावधि (आधार वर्ष) की तुलना में दी गयी समयावधि में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति दर्शाता है।
  - CSO द्वारा प्रति माह IIP आँकड़े जारी किये जाते हैं। वर्तमान में इसका आधार वर्ष **2004-05** है।
- IIP 682 अलग-अलग वस्तुओ को सम्मिलित करता है। क्षेत्रवार ये सम्मिलित वस्तुए 3 वर्गों में विभक्त होती है, जैसे:-सूची में अपने घटते महत्त्व के अनुसार क्रमशः विनिर्माण, खनन और विद्युत।
- प्रतिशतता के अनुसार, IIP में सभी **8 कोर उद्योगों** का भारित माध्य 38% है।
- IIP में, कोर उद्योगों का घटता हुआ क्रम है:
  विद्युत> स्टील> रिफायनरी उत्पाद> क्रूड> कोयला> सीमेंट>प्राकृतिक गैस>उर्वरक

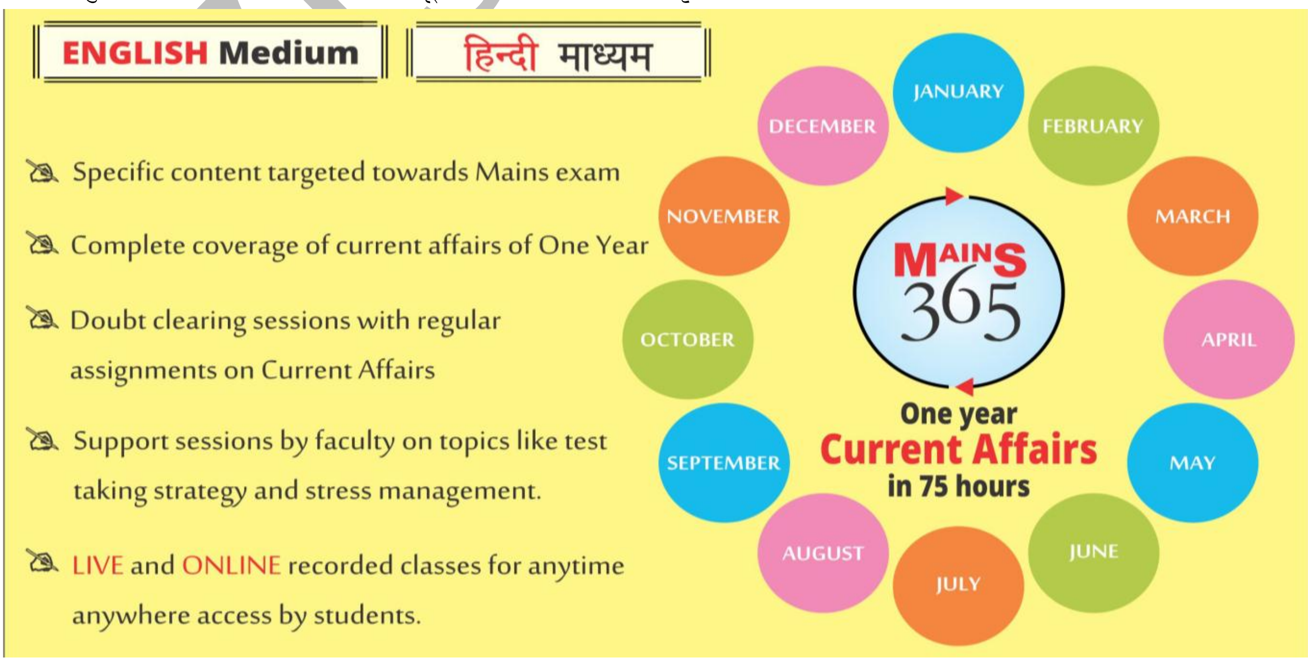

9. अवसंरचना

(INFRASTRUCTURE)

9.1. सड़क मार्ग क्षेत्र

(Road Sector)

9.1.1. राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड

(National Highways Grid)

यह क्यों आवश्यक है?

- भारत में वैज्ञानिक प्रतिरूप के रोड नेटवर्क पैटर्न की कमी है I इस कारण चालक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए एक सीधा मार्ग नहीं अपना सकते।

इसके लिए क्या किया जा रहा है?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक '**राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड**' का प्रस्ताव दिया है, जिसमें देशभर में 27 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर राजमार्ग गलियारे शामिल होंगे।
- ये गलियारे करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होंगे और आड़े-तिरछे (क्रिस्क्रॉस) पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।
- कुल परियोजना 25,000 करोड़ रुपये की है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान आसान बनाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों को फिर से चिन्हित करने में मदद करेगी।
- यह ग्रिड 12 महापत्तनों, राज्यों की राजधानियों और 45 से अधिक शहरों को जोड़ेगी तथा इस तरह तीव्र निकासी एवं एक छोर से दूसरे छोर तक माल परिवहन में मदद मिलेगी।

9.1.2. राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी

(National Highways Interconnectivity)

- सरकार ने 5 राज्यों - कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में **राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी सुधार परियोजना (NHIIP)** के तहत 1,120 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 6461 करोड़ रुपये अनुमोदित किया है।
- पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से **2- लेन मानकों** का विकास किया जा रहा है I
- यह परियोजना प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों जोकि अधिकांशतः पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित है उन पर तीव्र, सुरक्षित और सभी मौसम में यतायात प्रचालन को सुनिश्चित किया जायेगा। इससे इन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।
- अनुमोदित परियोजना लागत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार और अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों की लागत शामिल है।

9.1.3. लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम

(Logistics Efficiency Enhancement Programme: LEEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **LEEP** के अंतर्गत देश में माल ढुलाई (freight movement) की मौजूदा लॉजिस्टिक अवसंरचना और गंतव्य स्थानों के गहन परीक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट: DPRs-सर्वे) पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- ऐसे 44 अलग-अलग माल गलियारों (आर्थिक गलियारों), अंतर गलियारों और फीडर मार्गों पर माल ढुलाई की लागत और समय की बचत के लिए यह किया जाता है।

यह क्या है?

- LEEP का लक्ष्य अवसंरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के हस्तक्षेप के माध्यम से लागत, समय, कन्साइनमेंट (माल) की ट्रैकिंग और स्थानांतरणीयता में सुधार कर भारत में माल परिवहन में सुधार लाना है।

VISION IAS

- पहले चरण में 15,000 किलोमीटर की DPRs तैयार की जाएगी।
- DPRs-सर्वे के समय को कम करने के लिए NHAI ने LiDAR, सैटेलाइट मैपिंग और ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार (GPRs) जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

9.1.4 एशियाई विकास बैंक - गंगा पुल ऋण

(Asian Development Bank - Ganga bridge loan)

- एशियाई विकास बैंक ने गंगा नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर (लगभग 3350 करोड़ रुपए) के ऋण की मंजूरी दी है।
- बिहार में निर्मित होने वाला 9.8 किमी. लंबा यह पुल निर्मित होने के बाद **देश का सबसे लंबा** नदी पुल होगा।
- इस परियोजना की अनुमानित अवधि 4 वर्षों की है और इसके **दिसंबर 2020** तक पूरा होने की संभावना है।

एशियाई विकास बैंक के बारे में

- एशियाई विकास बैंक की कल्पना 1960 के दशक में एक ऐसी वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी जो प्रकृति में एशियाई होगी तथा विश्व के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देगी।
- एशियाई विकास बैंक अपने सदस्यों और भागीदारों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, और इक्विटी निवेश प्रदान करके मदद करता है।
- एशियाई विकास बैंक के 67 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं।
- भारत एशियाई विकास बैंक का वर्ष 1966 से एक संस्थापक सदस्य है।
- 31 दिसंबर 2012 तक भारत के पास एशियाई विकास बैंक में 6.33% हिस्सेदारी और 5.36% मताधिकार थे।जापान और अमेरिका एशियाई विकास बैंक में सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

9.1.5. NATRIP (National Automative Testing And R &D Infrastructure Project) परियोजना

(NATRIP Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने NATRIP के लिए 3,727.30 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है।

NATRIP क्या है?

- भारत 1998 के WP-29 के अंतर्गत UN **रेगुलेशन ऑन हार्मनाइजेशन ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन** (वाहन विनिर्देशों के सामंजस्यीकरण पर संयुक्त राष्ट्र नियमन)' का हस्ताक्षरकर्ता है I इस कारण भारत द्वारा परियोजना दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है।
- भारतीय वाहनों से सुरक्षा को वैश्विक मानकों (**UN ब्रासीलिया प्रस्ताव के अनुसार**) के अनुरूप बनाना जिससे सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की बड़ी संख्या को कम किया जा सके (2015 में यह संख्या क्रमशः 5.01 लाख और 1.46 लाख थी)।
- इसका उद्देश्य वाहन-पुर्जों (ऑटो-कॉम्पोनेन्ट) के विकास और प्रमाणन के लिए MSMEs को सहायता देना है।
- भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के बीच एक अद्वितीय संयुक्त पहल के द्वारा देश में अत्याधुनिक परीक्षण, सत्यापन और शोध एवं विकास में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जायेगा ।
- ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 को समर्थन देने के लिए यह भी आवश्यक है I इसके अंतर्गत भारतीय मोटर वाहन और पुर्जा निर्माताओं के लिए अगले 10 वर्षों में निर्यात को अपने कुल उत्पादन के 35-40 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

9.1.6 फास्टैग रोल-आउट एंड फैसिलिटेशन

(Fastag Roll-Out and Facilitation)

- NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर कैशलेस पेमेंट मैकेनिज्म (**FASTag**) आरम्भ किया है।
- फास्टैग, टोल प्लाजा से वाहनों के लगभग निरंतर/नॉन-स्टॉप आवागमन की व्यवस्था प्रदान करता है। साथ ही राष्ट्रव्यापी अंतर प्रचालनीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सर्विसेज के साथ टोल फीस के कैशलेस पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है।

VISION IAS

- फास्टैग देश भर के राजमार्गों के 325 से अधिक टोल प्लाजा पर क्रियाशील है।
- यह इससे जुड़े प्रीपेड खातों द्वारा सीधे टोल पेमेंट करने के लिए RFID तकनीकी का प्रयोग करता है।

9.1.7. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT)

- सरकार ने ***दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड*** **(DMIC-PITF)** के विस्तार के शासनादेश//आदेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है । साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT) के रूप में इसे पुन:स्थापित किया गया है।
- NICDIT, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय है। इसका कार्य निम्नलिखित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का संयोजित तथा संयुक्त विकास करना है:
  i. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)
  ii. चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (CBIC)
  iii. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC)
  iv. बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (BMIC)
  v. विज़ाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (VCIC)
- NICDIT योजनाओ के विकास की गतिविधियों तथा योजनाओ के मूल्यांकन, अनुमोदन एवं संस्तुति में सहयोग करेगा।
- यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के विकास हेतु किये जा रहे सभी केन्द्रीय प्रयासों का समन्वय एवं निरीक्षण भी करेगा।

9.1.8. सभी राजमार्गों पर हरित क्षेत्र का विस्तार

(Extending Green Cover across Highways)

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु दो योजनाएं, '***अडॉप्ट ए ग्रीन हाईवे***' और '**किसान हरित राजमार्ग योजना**' की शुरुवात की है ।
- *'अडॉप्ट ए ग्रीन हाईवे'* पहल के अन्तर्गत कॉर्पोरेट, PSUs और NGOs, राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर के विस्तार (NH stretches) में वृक्षारोपण करने तथा रख-रखाव हेतु इसे 5 वर्ष के लिए अपने संरक्षण में ले सकते है।
- 'किसान हरित राजमार्ग योजना' के अन्तर्गत NHAI किसानों को राजमार्ग के किनारे उनके खेतों में वृक्षारोपण करने हेतु तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9.2. रेल क्षेत्र

(Rail Sector)

9.2.1. हीरक चतुर्भुज: डायमंड क्वाड्रीलेटरल (DIAMOND QUADRILATERAL)

- यह भारतीय रेलवे की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य चार महानगरों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को तीव्रगामी रेल नेटवर्क से जोड़ना है।
- इसके अंतर्गत छः गलियारे चिह्नित किये गए हैं: (i) दिल्ली-मुंबई, (ii) मुंबई-चेन्नई, (iii) चेन्नई-कोलकाता, (iv) कोलकाता-दिल्ली और दोनों विकर्ण जैसे-(v) दिल्ली-चेन्नई एंड (vi) मुंबई-कोलकाता मार्ग।

9.2.2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

(Eastern Dedicated Freight Corridor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व बैंक समूह के अंग अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक **(International Bank for Re-construction and Development) (I.B.R.D)** ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए DFCCIL को $650 मिलियन डॉलर उधार देने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

VISION IAS

- क्रमशः 975 मिलियन डॉलर और 1,100 मिलियन डॉलर के ऋणों के रूप में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग की सहायता से DFCCIL , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रथम दो चरणों का पहले से ही कार्यान्वन कर रहा है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL) एक SPV(Special Purpose Vehicle) है जिसे रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन योजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रखरखाव और संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए स्थापित किया गया है।
DFCCIL को अक्टूबर 2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम ,1956 के अंतर्गत गठित किया गया था।

9.2.3. गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा

(Non-Fare Revenue Policies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय ने आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति, ट्रेन ब्रांडिंग नीति, कंटेंट-ऑन-डिमांड, रेल रेडियो नीति और ATM नीति के साथ प्रथम गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा की है।

नीति के प्रावधान

- **गैर-किराया राजस्व नीति** में शामिल है:
- विज्ञापन होर्डिंग और बिलबोर्डस के लिए रेलवे स्टेशनों के आउटडोर रिक्त स्थान की बिक्री।
- स्टेशनों पर और ट्रेनों में वाई-फाई के माध्यम से रेडियो और वीडियो सामग्री उपलब्ध कराना।
- ATM के लिए प्लेटफार्मों के रिक्त स्थान को पट्टे पर देना।
- ट्रेनों और स्टेशनों की ब्रांडिंग राइट्स की बिक्री।
- **ट्रेन ब्रांडिंग नीति** के तहत 10 वर्ष के अनुबंध के आधार पर ट्रेन के बाह्य और आंतरिक भाग में विनाइल कवर (vinyl wraps) के विज्ञापन की अनुमति होगी।
- **आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति**, अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए- रोड ओवर ब्रिजेज, लेवल क्रासिंग गेट्स आदि पर।

नीति का महत्व

- यह कदम यात्रियों के लिए उनके व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर **मनोरंजक गतिविधियां** उपलब्ध कराएगा। इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी।
- यह कदम यात्री और माल ढुलाई के रूप में **पारंपरिक राजस्व के स्रोत पर निर्भरता को कम** करेगा।
- यह कदम वायुमार्ग और सड़क मार्ग जैसे परिवहन के क्षेत्रकों की तुलना में **रेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ा** सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से **सड़कों से भीड़ को कम** हो सकती है और सार्वजनिक परिवहन सस्ता हो सकता है।

9.2.4. रेल सुरक्षा

(Rail Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेलवे मंत्रालय उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विश्व बैंक से परामर्श करने की योजना बना रहा है जहाँ बजट में घोषित विशेष रेल सुरक्षा निधि (स्पेशल रेल सेफ्टी फण्ड) से निवेश की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय बजट 2017-18 में रेल सुरक्षा हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- यात्री सुरक्षा के लिए, 5 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ एक **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष** निर्मित किया जाएगा। यह एक नॉन-लैप्सेबल (non-lapsable) फंड होगा।
- सरकार इस कोष से वित्त पोषित होने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों को लागू करने के लिए **स्पष्ट दिशा-निर्देश और समय-सीमा** निर्धारित करेगी।
- 2020 तक **ब्रॉड गेज लाइनों** पर मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा।

VISION IAS

- सुरक्षा तैयारियों और रख-रखाव के तरीकों में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।

- **ICF (इंटीग्रल कोच फैक्टरी)** डिजाइन से आशय सम्पूर्ण भारत की ट्रेनों में देखी जाने वाली कोचों की पारंपरिक डिजाइन से है।
- **LHB (लिंक-हॉफमैन-बुश)** कोच, ICF कोच की तुलना में आकर्षक सज्जा, बेहतर सस्पेंशन, कम आवाज करने वाले तथा बेहतर यात्रा गुणवत्ता वाले होते हैं। इसके AC कोच की खिड़कियां काफी बड़ी होती हैं तथा इन खिड़कियों में ICF AC कोच की खिड़कियों के समान उच्च आभा (हैवी टिन्टिंग) नहीं होती।
- किसी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में ये ICF कोच से अधिक सुरक्षित भी हैं। LHB कोच ICF के कोच से ज्यादा लंबे हैं। LHB और ICF कोच में सीट विन्यास भी अलग-अलग है।

9.2.5. रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फण्ड (RIDF)

(Railways India Development Fund)

- रेलवे 30,000 करोड़ की निधि की स्थापना कर रही है I राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टरों के लिए पूरे देश में लाभकारी परियोजनाओं के कार्यान्वन की यह इस प्रकार की पहली योजना हैI
- विश्व बैंक, राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि (**NIIF**), पेंशन और बीमा निधि जैसे निवेशक तथा अन्य संस्थागत निवेशकों के भी RIDF का हिस्सा बनने की सम्भावना हैI
- हालाँकि, RIDF केवल उन रेल परियोजनाओं में निवेश करेगा जिनमें रिटर्न्स की दर कम से कम 14% से 16% तक उच्च रही होI.
- RIDF फ्रेट संचलन की नयी लाइनों या स्टेशनो के पुनर्विकास पर ध्यान देगा और गैर-लाभकारी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा।
- चूँकि फ्रेट लाइनें यात्री लाइनों से ज्यादा लाभकारी हैं, अतः RIDF वस्तुओं के संचलन पर ध्यान केन्द्रित करेगा I
- वर्तमान में, रेलवे ने कई नयी परियोजनाएं आरम्भ की हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से तो वांछनीय हैं किन्तु आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य हैंI

9.2.6. मिशन 41K

(Mission 41K)

- रेल मंत्रालय ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय रेलवे के ऊर्जा खपत पर होने वाले खर्च पर 41,000 करोड़ रु. की बचत के लिए **"मिशन 41K"** का आरंभ किया है।
- मिशन 41K का यह लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इसके अंतर्गत 90% रेल ट्रैफिक को डीज़ल के स्थान पर बिजली पर संचालित करने का लक्ष्य है, वर्तमान में सम्पूर्ण रेल ट्रैफिक का केवल 50% बिजली चालित है।
- रेलवे डिस्कॉम (DISCOM) द्वारा बिजली खरीदने की अपेक्षा खुले बाज़ार से अधिकाधिक बिजली सस्ती दर पर खरीदेगा I
- विद्युतीकरण मिशन भारतीय रेलवे की आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने, ऊर्जा मिश्रण (एनर्जी मिक्स) में परिवर्तन करने तथा ऊर्जा की कीमत को युक्तिसंगत बनाने में रेलवे की मदद करेगाI

9.2.7. कल्पना चावला चेयर ऑन जिओस्पैटियल टेक्नोलॉजी

(Kalpana Chawla Chair on Geospatial Technology)

- रेलवे मंत्रालय तथा **PEC** यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी ने विश्वद्यालय में भारतीय रेलवे की कल्पना चावला चेयर ऑन जिओस्पैटियल टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।
- यह अकादमिक चेयर भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री तथा PEC की भूत पूर्व छात्रा स्वर्गीय कल्पना चावला की याद में स्थापित की गयी है I

VISION IAS

- इस चेयर का उद्देश्य जिओस्पैटियल टेक्नोलॉजी (भूस्थानिक तकनीकी) में भारतीय रेलवे की शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है ।
- यह उन रेलवे परियोजनाओं को भी सशक्त बनाने में मदद करेगा जहाँ रिमोट सेंसिंग डाटा, भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) सर्वाधिक इस्तेमाल होता है।

9.2.8. त्रि-नेत्र

(Tri-Netra)

Terrain imaging for diesel dRivers INfra-red, Enhanced opTical & Radar Assisted system: Tri-NETRA

- रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने खराब मौसम में लोकोमोटिव (रेल इंजन) चालकों की दृश्य क्षमता को बढ़ाने के लिए लोकोमोटिव पर **TRI-NETRA** सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।
- यह प्रणाली लोकोमोटिव पायलट को खराब मौसम के दौरान भी सीधी पटरी पर लगभग एक किलोमीटर की दूरी तक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है।
- TRI-NETRA प्रणाली हाई-रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल वीडियो कैमरा, हाई-सेन्सिटीविटी इन्फ्रा-रेड वीडियो कैमरा एवं रडार-आधारित भू-भाग मानचित्रण प्रणाली से बनी हुई है।
- TRI-NETRA खराब मौसम के दौरान गतिशील लोकोमोटिव के आगे के भू-भागों को देखने के लिए डिजाईन किया गया है। यह तीन उप-प्रणालियों द्वारा खींचे गए चित्रों को जोड़कर और संयुक्त वीडियो इमेज बनाकर लोको पायलट के समक्ष कंप्यूटर मॉनीटर पर प्रदर्शित करेगा।

9.2.9. रेलवे मंत्रालय की शोध तथा विकास इकाई- RDSO

(R & D Units of the Ministry of Railways – RDSO)

रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन (RDSO) लखनऊ में स्थित भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास से सम्बंधित एक मात्र संगठन है। यह रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे के तकनीकी सलाहकार के तौर पर कार्य करता है । RDSO को दिए गए लक्ष्य और उद्देश्यों में सम्मिलित है:-

- भारतीय रेलवे के लिए नयी तकनीकी का विकास, अभिग्रहण तथा समावेश
- सम्पूर्ण मानक प्रणाली का विकास
- उपकरण, घटको तथा सामग्रियों के लिए स्पेसिफिकेशन का विकास
- वैधानिक मंजूरी के लिए परीक्षण तथा सुझाव प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा (मेट्रो प्रणाली के लिए भी)
- तकनीकी जांच में सहयोग
- प्रदत्त वस्तुओं के सम्बन्ध में गुणवत्ता आश्वासन

9.2.10. अनिल काकोडकर कमेटी

(Anil Kakodkar Committee)

समिति ने रेलवे पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए 106 सुझाव दिए गए है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:

- सामान्य सुरक्षा के मामले
- संगठनात्मक संरचना
- कार्य करने के स्तर पर सशक्तिकरण
- सुरक्षा सम्बन्धी कार्य तथा मुद्दे
- महत्त्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों में रिक्त पदों की भर्ती तथा श्रम शक्ति नियोजन से जुड़े मुद्दे
- महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कलपुर्जो की कमी को पूरा करना
- बाहरी हस्तक्षेप - अतिक्रमण तथा तोड़फोड़ को कम करना
- सिग्नलिंग, दूरसंचार तथा ट्रेन की सुरक्षा तंत्र का उन्नयन
- ट्रैक, पुलों, रेल के डिब्बों तथा इंजनों में सुधार, लेवल क्रासिंग्स को समाप्त करना, मानव संसाधन विकास के साथ भारतीय रेलवे के शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर विशेष ध्यान,
- भारतीय रेलवे पर इको-सिस्टम और सेफ्टी आर्किटेक्चर ।

VISION IAS

9.2.11. भारतीय रेलवे की 'मिशन रफ्तार' योजना

('Mission Raftaar' of Indian Railway)

- 2016-17 के रेलवे बजट में 'मिशन रफ्तार' योजना की घोषणा की गई।
- इस मिशन के अंतर्गत **मालगाड़ियों की औसत गति को दुगना** एवं सभी **यात्री गाड़ियों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने** का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना को लागू करने के लिए पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- यह **अवतरण (Avataran)** के अंतर्गत 7 मिशन मोड गतिविधियों का एक हिस्सा है।

अवतरण (Avataran)

- **मिशन 25 टनः** इसका उद्देश्य भार वहन क्षमता को विस्तृत कर राजस्व की प्राप्ति को बढ़ाना है।
- **मिशन जीरो एक्सीडेंट:** सभी मानव रहित लेवल क्रासिंग की समाप्ति एवं TCAS (ट्रेन कोलीजन अवॉयडेंस सिस्टम) को शामिल करना।
- **मिशन PACE:** खरीद एवं उपभोग दक्षता में सुधार
- **मिशन हंड्रेड:** अगले दो वर्षों में कम से कम 100 साईडिंग्स का निर्माण
- **मिशन बिऑन्ड बुक-कीपिंग:** ऐसी लेखा प्रणाली को विकसित करना जिसमें परिणामों को इनपुट (आगतों) के लिए ट्रैक किया जा सके।
- **मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन**
- **मिशन रफ्तार**

9.2.12. राष्ट्रीय रेल योजना 2030

(National Rail Plan 2030)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में रेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की वेबसाइट की शुरुआत की गयी।
- यह राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों तथा सम्बंधित मंत्रालयों समेत सभी हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के विकास हेतु उद्देश्यपूर्ण अध्ययन में इनपुट प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाएगी।

राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में

- NRP 2030 रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए योजना निर्माण हेतु दूरगामी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
- यह रेल नेटवर्क को यातायात के अन्य साधनों के साथ सुसंगत एवं एकीकृत करेगा तथा देश भर में निर्बाध मल्टी मोडल परिवहन नेटवर्क प्राप्त करने के लिए तालमेल बढ़ाएगा।
- यह सुरंगों तथा ओवरमेगाब्रिजों में एक साथ नयी रेलवे लाइनें तथा राजमार्ग बनाकर परिवहन नेटवर्क में एकीकृत योजना और लागत अनुकूलन के स्वप्न को साकार करेगा।

राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के उद्देश्य

- माल तथा यात्रियों हेतु आसान आवागमन उपलब्ध कराना तथा विश्वसनीय, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- रेल परिवहन के आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना कर तथा इसे यातायात के अन्य साधनों के पूरक के रूप में विकसित कर आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करना।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सामरिक आवश्यकता को पूरा करना।
- एक आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी रेल परिवहन प्रणाली का निर्माण करना।

VISION IAS

9.3. बंदरगाह

(Ports)

9.3.1. द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटिज बिल, 2016

(Major Ports Authority Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट,1963' के स्थान पर 'द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटिज बिल 2016' को स्वीकृति दी है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- नया विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट,1963 की तुलना में अधिक सुगठित है जिसमें 134 सेक्शन की जगह सिर्फ 65 सेक्शन होंगे और इनमें कोई दोहराव और अप्रचलित सेक्शन नहीं हैं।
- नए विधेयक में **बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी (BPA)** के ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 3-4 स्वतंत्र निदेशकों सहित केवल 11 सदस्य होंगे जबकि अभी विभिन्न हित समूहों के 17 से 19 सदस्य होते हैं।
- नए विधेयक में **टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स (Tariff Authority of Major Ports:TAMP)** की टैरिफ रेगुलेट करने की भूमिका को वापस लिया गया है। अब **BPA** को टैरिफ तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह PPP परियोजनाओं में बोली लगाने के लिए रेफरेंस टैरिफ के रूप में कार्य करेगा।
- BPA को बंदरगाह से संबंधित प्रयोजनों हेतु 40 वर्षों के लिए तथा बंदरगाह से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु 20 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने हेतु अधिकृत किया गया है। BPA को बंदरगाह से सम्बंधित अन्य सेवाओं एवं परिसंपत्तियों (जैसे भूमि) की कीमत तय करने के लिए भी सशक्त किया गया है।
- विधेयक में **कंपनी अधिनियम 2013** के प्रावधानों के अनुसार CSR गतिविधियों एवं लेखा परीक्षा का उल्लेख है। साथ ही इसमें पत्तन प्राधिकरण द्वारा अवसंरचनात्मक विकास किए जाने के बारे में भी उल्लेख है।
- एक **स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड (Independent Review Board: IRB)** प्रस्तावित किया गया है जो प्रमुख बंदरगाहों के लिए तत्कालीन TAMP के पुराने मामलों को सुलझाएगा। इसमें यह बंदरगाहों और PPP रियायतदारों के मध्य विवादों को सुलझाएगा, PPP परियोजनाओं की समस्याओं की समीक्षा करेगा और परियोजनाओं से जुड़े PPP संचालनकर्ताओं, बंदरगाह तथा निजी ऑपरेटरों के बीच होने वाले विवादों से संबंधित शिकायतों पर सुझाव देगा।
- IRB निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में की गई शिकायतों की भी जांच करेंगे।

लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल

- सार्वजनिक रूप से शासित पत्तन प्राधिकरण, एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, वहीं नौभार-संचालन (cargo-handling) का कार्य निजी क्षेत्र की कंपनियाँ करती हैं। हालाँकि, पत्तन प्राधिकरण बन्दरगाह पर मालिकाना हक रखता है लेकिन बुनियादी ढाँचे का निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। बदले में, पत्तन प्राधिकरण (लैंडलॉर्ड पोर्ट) निजी कंपनियों से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करता है।

सर्विस पोर्ट मॉडल

- पत्तन प्राधिकरण, नियामक निकाय होने के साथ-साथ बन्दरगाह पर मालिकाना हक भी रखता है और सभी तरह की चल और अचल संपत्तियों का मालिक भी होता है। पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर होता है।

9.3.2. भारत का 13वां मेजर पोर्ट

(India's 13th Major Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में **कोलाचेल के पास इनायम** में एक मेजर पोर्ट (प्रमुख पत्तन) की स्थापना के लिए अपनी 'सैद्धांतिक' मंज़ूरी दे दी है। निर्माण पश्चात यह देश का **13वां** मेजर पोर्ट बन जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में भारत में 12 मेजर और 187 छोटे या मझोले पत्तन हैं।
- वर्तमान में, भारत के पूर्वी तट के पत्तनों से समुद्री यातायात का लगभग 78% कोलंबो, सिंगापुर और क्लांग (मलेशिया) को ट्रांस-शिप कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में अधिकांश पत्तनों के पास वैश्विक कार्गो हैंडलिंग दक्षता का मुकाबला करने तथा ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करने के लिए अनुकूल ढ़ांचा नहीं है।

इनायम पत्तन

- इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्ग के लिए एक ट्रांस-शिपमेंट गंतव्य बनाना है।
- यह पत्तन वर्तमान में देश के बाहर ट्रांस-शिप किये जाने वाले भारतीय कार्गो के लिए प्रमुख गेटवे कंटेनर पोर्ट के रूप में काम करेगा।
- इनायम पत्तन के विकसित होने के बाद दक्षिण भारत में उन निर्यातकों और आयातकों के लिए माल लाने और भेजने का खर्च घट जाएगा जो अभी ट्रांस-शिपमेंट के लिए अन्य बंदरगाहों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें वहां के बंदरगाहों को भी अतिरिक्त खर्च देना पड़ता है।
- अन्य देशों को ट्रांस-शिप किये जाने पर भारत को प्रतिवर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ती हैं। इस पत्तन के तैयार होने के उपरांत ऐसे राजस्व की भी बचत होगी।

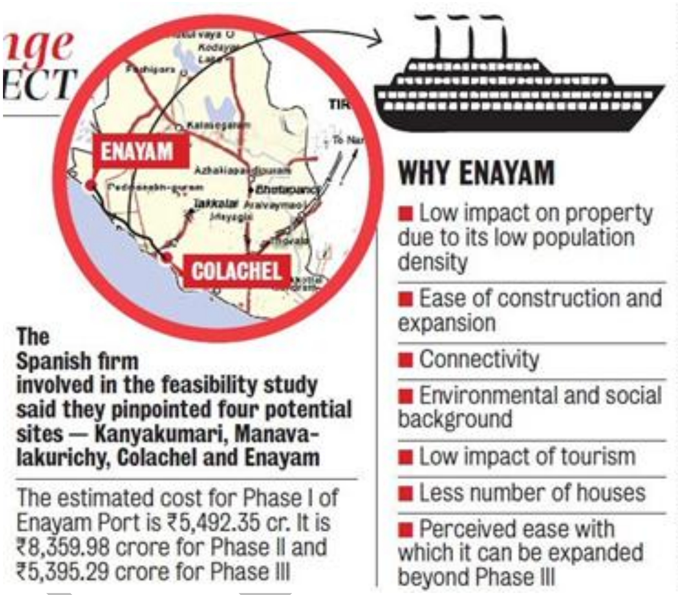

- इनायम पत्तन की प्राकृतिक गहराई करीब 20 मीटर होगी, जो इसे बड़े जहाजों के लिए भी सुगम बनाएगा।
- इसकी क्षमता 10 मिलियन TEUs (बीस फुट समकक्ष इकाइयाँ) है और बाद में इसे 18 मिलियन TEUs तक बढ़ाया जा सकता है।

मेजर पोर्ट क्या होते हैं?

- पत्तन <u>संविधान की **समवर्ती सूची** में</u> हैं।
- सभी मेजर पोर्ट केंद्र सरकार के **पोत परिवहन मंत्रालय** द्वारा प्रशासित होते हैं।
- ये भारत के लगभग 75% कार्गो ट्रैफिक को संभालते हैं।
- पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर भारत के मेजर पोर्ट हैं: हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर (निजी), चेन्नई, तूतीकोरिन, इनायम, कोच्चि, पानाम्बुर पोर्ट (मंगलौर), मर्मागोवा, न्हावा शेवा (महाराष्ट्र), मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट (गुजरात) और पोर्टब्लेयर (अंडमान)।
- इस क्षेत्रक की "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की सफलता में और अपने व्यापार भागीदारों के साथ अधिक से अधिक वैश्विक जुड़ाव और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

9.3.3. सागर पत्तन

(Sagar Port)

- केंद्र सरकार ने हाल ही में सागर पत्तन के निर्माण हेतु 515 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।
- यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूह में 12,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित गहरा समुद्री पत्तन (deep sea port) है।
- कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, हुगली नदी के उथले जल के कारण बड़े जहाजों को नहीं संभाल सकते। अतः, पश्चिम बंगाल में एक वैकल्पिक पत्तन की आवश्यकता है।

VISION

9.3.4. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर)

(India's First Coastal Economic Corridor)

इस तटीय आर्थिक गलियारे के बारे में

- भारत ने तमिलनाडु में **तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल तक अपने पहले पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ईस्टर्न कोस्ट इकॉनोमिक कॉरिडोर: ECEC)** के निर्माण की योजना तैयार कर ली है।
- हाल ही में, इस परियोजना के एक भाग के रूप में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच औद्योगिक गलियारे (विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: VCIC) के निर्माण के लिए 631 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है।
- इस निधि की मदद से 2,500 किलोमीटर वाले ECEC के 800 किलोमीटर के प्रथम प्रमुख खंड को विकसित करने में सहायता मिलेगी। शेष 215 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इसके पीछे निहित विचार में न सिर्फ नए बंदरगाहों का निर्माण करना या पुराने का उन्नयन करना शामिल है, अपितु इसके द्वारा पूरे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊँचाई प्रदान करना है, जिसमें अनेक पत्तन सम्मिलित होंगे।
- ADB की इस ऋण की सहायता से सरकार को एक कुशल कार्यबल और अनुकूल व्यापार नीतियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीक वाले औद्योगिक क्लस्टरों, सड़क, कुशल परिवहन, विश्वसनीय जल और विद्युत आपूर्ति आदि की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

तटीय आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन: CEZs)

- कंपनी की तटीय अवस्थिति कंपनियों को विश्व के बाजारों में अपने व्यवसायों के निर्बाध संचालन हेतु एक अनुकूल स्थिति उपलब्ध कराती है। चीन ने अपने यहां इस अवसर का सफलतापूर्वक दोहन किया है।
- इसी कारण से नीति आयोग ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि भारत को भी तटीय आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण पर काम करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि **सागरमाला पहल** के आलोक में यह (CEZs) और महत्वपूर्ण हो गया है।

मेरीटाइम क्लस्टर और CEZ (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन)

- जहाजरानी मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार की गई एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय समुद्र तट के साथ अवस्थित मेरीटाइम क्लस्टर्स वस्तुतः आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दुओं में से एक होंगे।
- तटीय आर्थिक क्लस्टरों के पत्तन आधारित औद्योगिक विकास पर एक रिपोर्ट में, अन्तर्निहित संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में तमिलनाडु और गुजरात में दो प्रमुख मेरीटाइम क्लस्टरों की पहचान की गयी है।

9.3.5. मर्चेंट शिपिंग बिल

(Merchant Shipping Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मंत्रिमंडल ने एक नए **मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2016** को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और 1838 के कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय टन भार में बढ़ोतरी **(Augmentation of Indian tonnage promotion)** / भारत में कोस्टल शिपिंग का विकास :
- ✓ भारी-स्वामित्व वाले जहाजों को भारतीय ध्वज पोतों (Indian flag vessels) के रूप में पंजीकरण की अनुमति देकर;
- ✓ भारतीय नियंत्रित टन भार को एक अलग श्रेणी की पहचान देकर;
- निम्नलिखित द्वारा भारत में तटीय शिपिंग का विकास
- ✓ तटीय ऑपरेशन के लिए भारतीय ध्वज पोतों को लाइसेंस जारी करने की जरूरत पूरी करके और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बंदरगाह मंजूरी दिलाकर; और
- ✓ तटीय जहाजों के विकास और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग नियम बनाकर।
- नाविकों के लिए कल्याणकारी उपायों की शुरुआत, जैसे: -
- ✓ समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बना लिए गए नाविकों को तब तक मजदूरी प्राप्त होगी जब तक वे रिहा होकर सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचते;

VISION IAS

- किसी भी क़ानून के तहत सम्मिलित नहीं होने वाले कुछ बची हुई श्रेणी के जहाजों का पंजीकरण और साथ ही सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के लिए प्रावधान भी इसमें शामिल है।
- सभी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाईजेशन (IMO) कन्वेंशनों / प्रोटोकॉल को भारतीय कानूनों में शामिल करना। (बॉक्स देखें)
- 1838 का कोस्टल वेसल्स अधिनियम ब्रिटिश काल का एक पुराना कानून है जिसके तहत बिना मैकेनिकल प्रोपल्सन वाले जहाजों का ही पंजीकरण किया जा रहा है और वो भी सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ अधिकार क्षेत्र में, इसलिए उसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2016 में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनमें पूरे भारत के जहाजों का पंजीकरण किया जाएगा।

IMO *कन्वेंशन्स*

- *द इंटरवेंशन कन्वेंशन 1969,*
- *द सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन 1979*
- *द प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स एनेक्स VI टू मरीन पोल्यूशन कन्वेंशन,*
- *द कन्वेंशन फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ़ शिप्स बैलस्ट वाटर एंड सेडीमेंट्स, 2004*
- *द नैरोबी रेक रिमूवल कन्वेंशन, 2007,*
- *द सॉल्वेज कन्वेंशन 1989 और*
- *द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज, 2001।*

9.3.6. बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाएं

(Port-Rail Connectivity Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय ने सागरमाला परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सागरमाला परियोजना पोत-परिवहन मंत्रालय के अधीन है और इसके तहत बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी है।
- इसके अतिरिक्त छह अन्य परियोजनाएं **इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IPRCL)** के तहत विचाराधीन हैं।
- पोत परिवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के भाग के रूप में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 7 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) प्रस्तावित किए गए थे।

उद्देश्य

- निकासी (इवैक्यूएशन) नेटवर्क को मजबूत बनाना और देश के बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
- माल की आवाजाही के लिए बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- माल की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स लागत और समय को कम करके भारतीय व्यापार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
- यह जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देकर माल की त्वरित, दक्ष, परेशानी-मुक्त और सहज आवाजाही को सुगम बनाता है।

- प्रमुख बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन (IPRC) नामक एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (SPV) बनाया गया है, जो पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
- इसमें 90% हिस्सेदारी प्रमुख बंदरगाहों (मेजर पोर्ट्स) की और 10% हिस्सेदारी रेल विकास निगम लिमिटेड की है।

पृष्ठभूमि

- सागरमाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम वस्तुतः 4 प्रमुख उद्देश्यों के तहत परियोजनाओं को निर्धारित करता है - i) बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास, ii) बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन, iii) बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, iv) तटीय सामुदायिक विकास।

सागरमाला कार्यक्रम

- सागरमाला, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तट पर स्थित समुद्री-बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करना है। दूरदराज के इलाकों में बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाना, तटीय समुदायों के धारणीय विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण को सुगम बनाना इसके अन्य लक्ष्य हैं।
- सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2016 में जारी की गई।
- 150 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है जो कि 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश को जुटाएंगी और 10 वर्षों की अवधि में 40 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों सहित करीब 1 करोड़ नए रोजगार सृजित करेंगी।

9.3.7. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

(Jawaharlal Nehru Port)

- जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह कन्टेनरों पर लॉजिस्टिक्स डेटा टैगिंग कार्यान्वित करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है।
- इससे आयातकों एवं निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विस के माध्यम से अपने माल की ट्रैकिंग करने में सहायता मिलेगी।
- RFID (रेडियो फ्रीकवेंसी आईडंटीफ्केशन टैंग) टैग प्रत्येक कंटेनर से जुड़ा होगा जो अलग-अलग स्थानों पर RIFD रीडर के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।

RFID:

- रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडण्टीफिकेशन विद्युत चुम्बिकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तथा अपने आप ही किसी भी पदार्थ से जुड़े टैग को पहचान का चिह्नित कर देता है।
- टैग में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित सूचनाएं होती हैं। पैसिव टैग (passive tag) आस-पास के RFID की इन्टेरोगेटिव रेडियो वेव्स से ऊर्जा प्राप्त करता है।

9.3.8. सागर पूर्वी

(Sagar Purvi)

- भारतीय तटीय जलों में समुद्री मानदण्डों के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने तटीय अनुसंधान पोत (coastial water research vassel: CRV) की तैनाती की है।
- CRV को भू-विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमो को लागू करने के लिए तैनात किया गया है जैसे-
  - ✓ समुद्री प्रदूषण के स्तर की निगरानी।
  - ✓ प्रवाल भितियों (coastal reef) सहित तटीय संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए ।
  - ✓ एकीकृत तटीय एवं सागरीय क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली (Integrated coastal and marine area management: ICMAM)
  - ✓ भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का सर्वेक्षण।

9.3.9. रो पैक्स फेरी सर्विस

(Ro Pax Ferry Service)

- सागर माला कार्यक्रम के अधीन, देश में तटीय जहाजरानी को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में नौवहन मंत्रालय ने गुजरात की खम्भात की खाड़ी में अवस्थित गोघा एवं दाहेज के बीच रो पैक्स फेरी सर्विस के लिए ड्रेजिंग प्रजेक्ट को मंजूरी प्रदान की हैं।
- यह भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो विश्व की दूसरी सर्वाधिक ज्वारीय सीमा (टाइडल रेंज) के क्षेत्र में अवस्थित है।
- यह योजना नर्मदा नदी के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्गों को उपयोगी बनाएगी तथा अपस्ट्रीम उद्योगों को लाभ पहुंचाएगी।

VISION IAS

9.3.10. परादीप औद्योगिक बंदरगाह शहर (पोर्ट सिटी)

(Paradip Industrial Port City)

- पारादीप को विश्व स्तरीय **स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी** के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इसे स्मार्ट पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने के पीछे निम्न तर्क हैं -

✓ पारादीप पहले से ही प्रमुख बंदरगाह है।
✓ इस क्षेत्र में समृद्ध खनिज संसाधन उपस्थित हैं।

9.3.11. बंदरगाह क्षेत्र के लिए नया मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट

(New Model Concession Agreement for Port Sector)

- नौवहन मंत्रालय ने बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक नया **मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट** (MCA) प्रस्तावित किया है।
- यह समझौता 2008 से अस्तित्व में आए मौजूदा MCA का स्थान लेगा।
- संशोधित MCA की विशेषताएं निम्नलिखित है:

✓ निकास मार्ग (एग्जिट रूट) प्रदान करने के लिए इक्विटी में बदलाव
✓ MCA में पुनर्वित्तीयन प्रावधान प्रदान करना।
✓ रियायतों में मध्य-अवधि समीक्षा के लिए प्रावधान
✓ परियोजना परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग और उच्च उत्पादकता।
✓ शिकायत निवारण प्रणाली
✓ टैरिफ दिशा-निर्देश

9.3.12. हरित बंदरगाह परियोजना

(Green Port Initiative)

- देश में फैले प्रमुख बंदरगाहों को स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने के लिए **जहाजरानी मंत्रालय** ने हरित बंदरगाह परियोजना का आरम्भ किया है।
- **इस परियोजना में दो कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए है:** पहला पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी 'हरित बंदरगाह पहल' तथा दूसरा 'स्वच्छ भारत अभियान'।
- 'हरित बंदरगाह पहल' के अधीन 12 पहलों को लागू किया जाएगा।

9.4. विमानन क्षेत्रक

(Aviation Sector)

9.4.1. नागर विमानन नीति

(Civil Aviation Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में घरेलू विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और यात्री अनुकूल किराया प्रदान करने के लिए नागर विमानन नीति को मंजूरी दी है। इस नई नीति का उद्देश्य घरेलू विमान यात्रियों को विभिन्न लाभ प्रदान करना है।

नीति का उद्देश्य

- भारत को वर्ष 2022 तक तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार बनाना। वर्तमान में भारत नौवें स्थान पर है।
- डोमेस्टिक टिकटिंग को वर्ष 2015 में 8 करोड़ से वर्ष 2022 तक 30 करोड़ तक ले जाना। वर्ष 2022 तक घरेलू यात्री यातायात को लगभग चार गुना करके 30 करोड़ तक लाना।
- अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान संचालित करने वाले हवाई अड्डों की संख्या को वर्ष 2016 में 77 से वर्ष 2019 तक 127 करना।

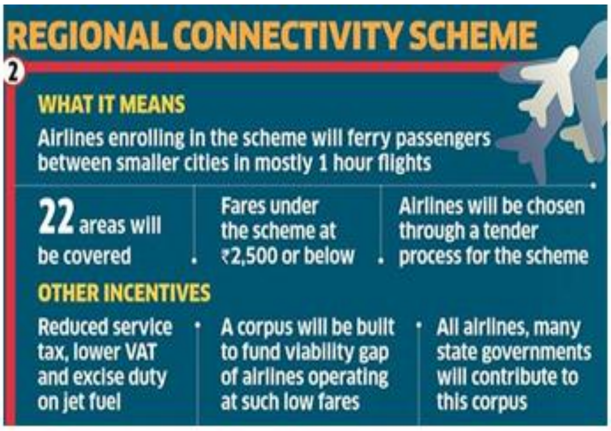

VISION IAS

- वर्ष 2027 तक कार्गो की मात्रा में 4 गुना की वृद्धि करके 10 मिलियन टन करना।
- डिरेगुलेशन, सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस के माध्यम से "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" को बढ़ावा देना।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.3 लाख कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP) की मुख्य विशेषताएं:

- नई नागर विमानन नीति की आधारशिला में निम्न सम्मिलित हैं:

✓ प्रतियोगिता

✓ उपभोक्ता

✓ कनेक्टिविटी (भारत के अंदर और शेष विश्व के साथ)

✓ निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के माध्यम से)

- क्षेत्रीय संपर्क योजना
- **रूट डिस्पर्सल गाइडलाइन (RDG)**

✓ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई यातायात मार्गों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

- **5/20 नियम खत्म**

✓ इस योजना की जगह ऐसी योजना लायी गयी है जो सभी को सामान अवसर देगी।

✓ सभी एयरलाइंस अब अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू कर सकती हैं, बशर्ते कि वे 20 उड़ानों (flights) या उनकी कुल विमान क्षमता (fleet) के 20% को, जो भी अधिक हों, घरेलू उड़ानों के लिए परिचालित करें।

- **द्विपक्षीय यातायात अधिकार**

✓ भारत सरकार, सार्क देशों और दिल्ली से 5,000 किमी. से परे स्थित देशों के साथ पारस्परिक आधार पर **"ओपन स्काई"** के प्रावधान को लागू करेगी। अर्थात ये देश उड़ानों और सीटों की संख्या के मामले में भारतीय हवाई अड्डों का असीमित उपयोग कर पाएंगे, जिससे इन देशों के साथ उड़ानों में वृद्धि होगी।

- **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस**

✓ सभी विमानन संबंधी लेनदेन, शिकायत, आदि के लिए एकल खिड़की व्यवस्था।

✓ "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" पर अधिक ध्यान क्योंकि सरकार की योजना क्षेत्रीय उड़ानों की व्यवस्था को उदार बनाने की है।

✓ भारतीय विमानन कंपनियां देश में किसी भी गंतव्य के लिए विदेशी विमानन कंपनियों के साथ पारस्परिक आधार पर कोड-शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए मुक्त होंगी।

✓ सभी क्षेत्रीय उड़ानों पर पहले से प्रस्तावित 2% उपकर हटा दिया गया है। यह उपकर क्षेत्रीय अवसंरचना में सुधार के लिए धन इकट्ठा करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

- **अवसंरचना का विकास**

✓ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की अधिकतम कीमत पर **हवाई पट्टियों की बहाली**।

✓ सरकार चार **हेली-हब (Heli-hub)** विकसित करेगी। हेलीकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी प्रारंभ होगी।

✓ राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र या PPP मोड के द्वारा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

✓ भविष्य में सभी हवाईअड्डों पर टैरिफ की गणना 'हाइब्रिड टिल (hybrid till)' के आधार पर की जाएगी।

- विमानन क्षेत्र में कौशल पहलों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच सामरिक साझेदारी।

9.4.2. रीजनल कनेक्टविटी स्कीम- 'उड़ान'

(Regional Connectivity Scheme- 'Udan')

स्कीम के बारे में

- UDAN क्षेत्रीय उड्डयन बाज़ार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य है- **"उड़े देश का आम नागरिक"।**

VISION IAS

प्रमुख विशेषताएं

- **उड़ान** 200 किमी. से 800 किमी. के बीच की उड़ानों पर लागू होगी। पहाड़ी, सुदूरवर्ती, द्वीपीय तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा नियत नहीं की गयी है।
- यह योजना एक न्यूनतम संख्या में UDAN सीटें रिज़र्व करेगी, ये सीटें कम मूल्य दरों पर उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही यह कम दूरी की उड़ानों के किराए पर भी एक अधिकतम सीमा नियत करती है, इसके तहत 30 मिनट की हवाई यात्रा के लिए 1200 रुपए और 1 घंटे की हवाई यात्रा के लिए 2500 रुपए की उच्चतम सीमा लागू होगी।
- इसके लिए दो उपाय किए जाएंगे:

✓ केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विमान पत्तन संचालकों से रियायतें जैसे कि करों में छूट, पार्किंग तथा लैंडिंग शुल्क से छूट, इत्यादि के रूप में **वित्तीय प्रोत्साहन** प्राप्त करना।

✓ ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानों का आरम्भ करने की इच्छुक एयरलाइनों के लिए **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** प्रदान करना जिससे कि यात्री किरायों को वहनीय रखा जा सके।

- इस योजना के अंतर्गत VGF संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क कोष **(रीजनल कनेक्टिविटी फण्ड: RCF)** बनाया जाएगा। भागीदार राज्य सरकारें (इनमें पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं जिनका योगदान 10 प्रतिशत होगा) इस कोष के लिए 20 प्रतिशत हिस्से का योगदान देंगी और कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान (per departure) RCF कर लगाया जाएगा।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए इस योजना के तहत देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से आवंटन किया जाएगा। ये क्षेत्र हैं- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व।
- **उड़ान योजना** का संचालन जिन हवाई अड्डों से शुरू किया जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके और उनकी रियायतों की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा।
- उड़ान योजना में, वर्तमान सुविधाहीन तथा अत्यंत कम सुविधा प्राप्त **हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार** कर कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

9.4.3. एयर सेवा पोर्टल

(Airsewa Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों

एयर सेवा पोर्टल सेवा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को कठिनाई रहित सेवा उपलब्ध कराना है।

विशेषताएं

- यह इंटरैक्टिव बेव पोर्टल एवं मोबाईल वेब दोनों के द्वारा संचालित की जाएगी।
- इस पोर्टल में शिकायत निवारण, कार्यालय स्थल पर शिकायत निवारण कार्यप्रणाली, उड़ानों की समय सारणी, हवाई अड्डों से संबंधित जानकारी, तथा FAQs जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- पूरे नागरिक उड्यन पारितंत्र से संबंधित सारे हितधारकों को एक ही पटल पर लाने द्वारा एयरसेवा पोर्टल एक सुनियोजित पद्धति (systematic approach) की व्यवस्था करता है।
- सभी भागीदार एजेंसियों हेतु नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है। यह अधिकारी एक समय सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा करेंगे।
- पोर्टल के माध्यम से हवाई अड्डों के संबंध में बुनियादी जानकारी, और हवाई अड्डों से संबंधित सेवाएं, जैसे व्हीलचेयर, परिवहन, पार्किंग, वाई-फाई सेवा, कांटेक्ट इनफार्मेशन (contact information) आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की जाएगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India)

- यह **1995** में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इसे देश में भूमि और वायु क्षेत्र दोनों में नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

VISION IAS

9.4.4.इंटरनेशनल सिविल एविएशन नेगोशिएशंस (ICAN)

(International Civil Aviation Negotiations (ICAN))

- ICAN 2016 नसाऊ में आयोजित की गई।
- इसमें भारत ने कई मुद्दों को सुलझाया जिनमे शामिल हैं -

✓ **ट्रैफिक राइट्स (traffic rights) में वृद्धि**

✓ **खुला आकाश समझौता:** इसके अधीन 6 देशों जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, फिनलैण्ड, स्पेन और श्रीलंका के साथ खुला आकाश समझौता (ओपन स्काई अग्रीमेंट) किया गया। इस समझौते के अंतर्गत भारत के छह महानगरों दिल्ली, मुबई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलुरू और चैन्नई स्थित हवाई अड्डों तक असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी गई।

✓ जमैका तथा गुयाना के साथ नए उड़ान सेवा समझौते किए गए।

✓ **कोड शेयर:** इसके माध्यम से सीधी उड़ानों से रहित दूरस्थ स्थानों तक कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी, और यात्रिओं को निर्बाध यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- खुले आकाश का अभिप्राय ऐसे समझौते से है जिसमें दो देशों के मध्य असीमित उड़ानों, गन्तव्य स्थानों, सीटों की संख्या, तथा कीमतों के लिए प्रतिबंध रहित प्रावधान किये जाते है। हालांकि यह समान्य परिभाषा है, वास्तविकता में कुछ प्रतिबंध सदैव विद्यमान रहते है।

9.5. अतिरिक्त विषय

(Additional topics)

9.5.1. ट्रांजिट आधारित विकास नीति

(Transit Oriented Development Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने एक ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) नीति प्रकाशित की है।

ट्रांजिट आधारित विकास

यह लोगों को, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) जैसे ट्रांजिट कोरिडोर से साइकिल से या पैदल तय करने योग्य दूरी के भीतर रहने के लिए सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि

- अहमदाबाद, दिल्ली (कड़कड़डूमा), नया रायपुर, नागपुर और नवी मुंबई में ट्रांजिट आधारित विकास परियोजनाएं पहले से ही प्रारंभ कर दी गई हैं।
- ट्रांजिट आधारित विकास की वर्तमान प्रगति निम्न तथ्यों में देखी जा सकती है -

✓ सात शहरों में 300 किलोमीटर से अधिक **मेट्रो लाइन का परिचालन** किया जा रहा है और 600 किमी की मेट्रो लाइन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

✓ 12 शहरों में **बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम** प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

✓ दिल्ली में 380 किमी लंबाई के **मास रेल ट्रांज़िट सिस्टम (Mass Rail Transit System)** की शुरुआत की जा रही है।

नीति के बारे में

- मास ट्रांजिट कॉरिडोर के आस-पास शहरी घनत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

✓ **फ्लोर एरिया अनुपात** को बढ़ाकर **उर्ध्वाधर भवनों का निर्माण**।

✓ पैदल चलने और साइक्लिंग के लिए **गैर-मोटर चालित परिवहन** को बढ़ावा देना।

✓ फीडर सेवाओं के माध्यम से प्रथम और अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी के साथ विभिन्न परिवहन माध्यमों का समेकित एकीकरण।

फ्लोर एरिया (Floor Area) अनुपात

जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उस भूमि के आकार की तुलना में भवन के कुल फ्लोर एरिया का अनुपात फ्लोर एरिया अनुपात कहलाता है।

VISION IAS

- यह बढ़ती शहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में **TOD** पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की समझ को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है।
- इसे ट्रांजिट कॉरिडोर में निवेश के बाद संपत्ति के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के एक भाग को बेटरमेंट लेवी और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग के माध्यम से चैनेलाईज करके वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।
- इसका उद्देश्य **मिश्रित पड़ोस के विकास के साथ किफायती आवास** समेत विभिन्न आवास विकल्प और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रिक्त स्थान सुनिश्चित कर समावेशी विकास करना है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक होगा:
- ✓ TOD को मास्टर प्लान्स और डेवलपमेंट प्लान में शामिल करें।
- ✓ राजस्व स्रोत के रूप में दोहन के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर में से '*इन्फ्लुएंस ज़ोन*' (influence zone)' की पहचान करना।

ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) को बढ़ावा देने के लिए अन्य नीतियां

- TOD को दो और पहलों, मेट्रो नीति और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- नई मेट्रो नीति के तहत, TOD को अनिवार्य कर दिया गया है जबकि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम के तहत, TOD को केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता के साथ एक आवश्यक सुधार के रूप में इसकी सिफारिश की गई है।

9.5.2. DISHA परियोजना

(Project Disha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) विमान पत्तनों को निर्देश जारी करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप का प्रयोग कर रही है।

DISHA परियोजना क्या है?

- AAI ने पिछले वर्ष ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए DISHA परियोजना (Driving Improvement in Service and Hospitality at Airports) को लांच किया था।
- इसका उद्देश्य है -
- ✓ ग्राहक सुविधा में सुधार लाना
- ✓ विमान पत्तन की शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार लाना
- ✓ नेविगेशन में सुधार लाना
- ✓ सर्वोत्तम और सस्ते खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान करना।
- यह परियोजना 10 विमान पत्तनों (कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुणे, गोवा, गुवाहाटी, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम) पर लागू की जा रही है।

9.5.3. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Funding)

खेल क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा (इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस) प्रदान किया गया है

- RBI सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्पोर्ट्स से संबद्ध अवसंरचनाएं) को *हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसेक्टर्स* (Harmonized Master List of Infrastructure Subsectors) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- इसमें खेल तथा खेल से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण/अनुसंधान हेतु अकादमियों के लिए खेल स्टेडियम और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान सम्मिलित हैं।

लाभ

- खेल क्षेत्रक अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- इससे ऐसे पब्लिक गुड (सार्वजनिक उपयोग वाले अवसंरचना आदि), अर्थात खेल क्षेत्रक में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके कई सामाजिक-आर्थिक लाभ हैं।
- इससे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी, जो अंततः अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। पुनः इससे स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी यह सहायक होगा।
- इससे हमारा देश भविष्य में **एक खेल महाशक्ति** बन सकता है।

अवसंरचना के लिए बजटेत्तर संसाधन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 31,300 करोड़ रुपये को जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- यह कदम वस्तुतः अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। पुनः यह कदम एक अधिक संधारणीय (टिकाऊ) विकास के लिए राजस्व –पूंजी व्यय के मिश्रण को भी इंगित करता है।

9.5.4. अण्डमान को जोड़ने के लिए अंडर सी (UNDER SEA) केबल

(Under Sea Cable to Link Andaman)

- केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने मुख्य भूमि (चेन्नई) और **अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य टेलिकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अंडर सी (under sea) ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी (OFC)** प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1102.30 करोड़ होगी।
- यह परियोजना मुख्य भूमि (चेन्नई) तथा पोर्ट ब्लेयर एवं पांच अन्य द्वीपों - लिटल अण्डमान, कार निकोबार, हैवलोक, कमोर्ता, ग्रेट निकोबार को फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- वर्तमान दूरसंचार कनेक्टिविटी सेटेलाईट के माध्यम से है, जो महंगी एवं सीमित बैण्डविथ की है।
- यह कनेक्टिविटी द्वीप समूह में **सामाजिक-आर्थिक विकास** को बढ़ावा देगा।

✓ यह द्वीपसमूह में ई-गवर्नेंस जैसी पहलों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा तथा इससे उद्यमों एवं ई-कामर्स जैसी सुविधाओं की स्थापना संभव होगी।

✓ यह शैक्षिक संस्थानों को ज्ञान साझा करने एवं रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने में सहयोग देगी।

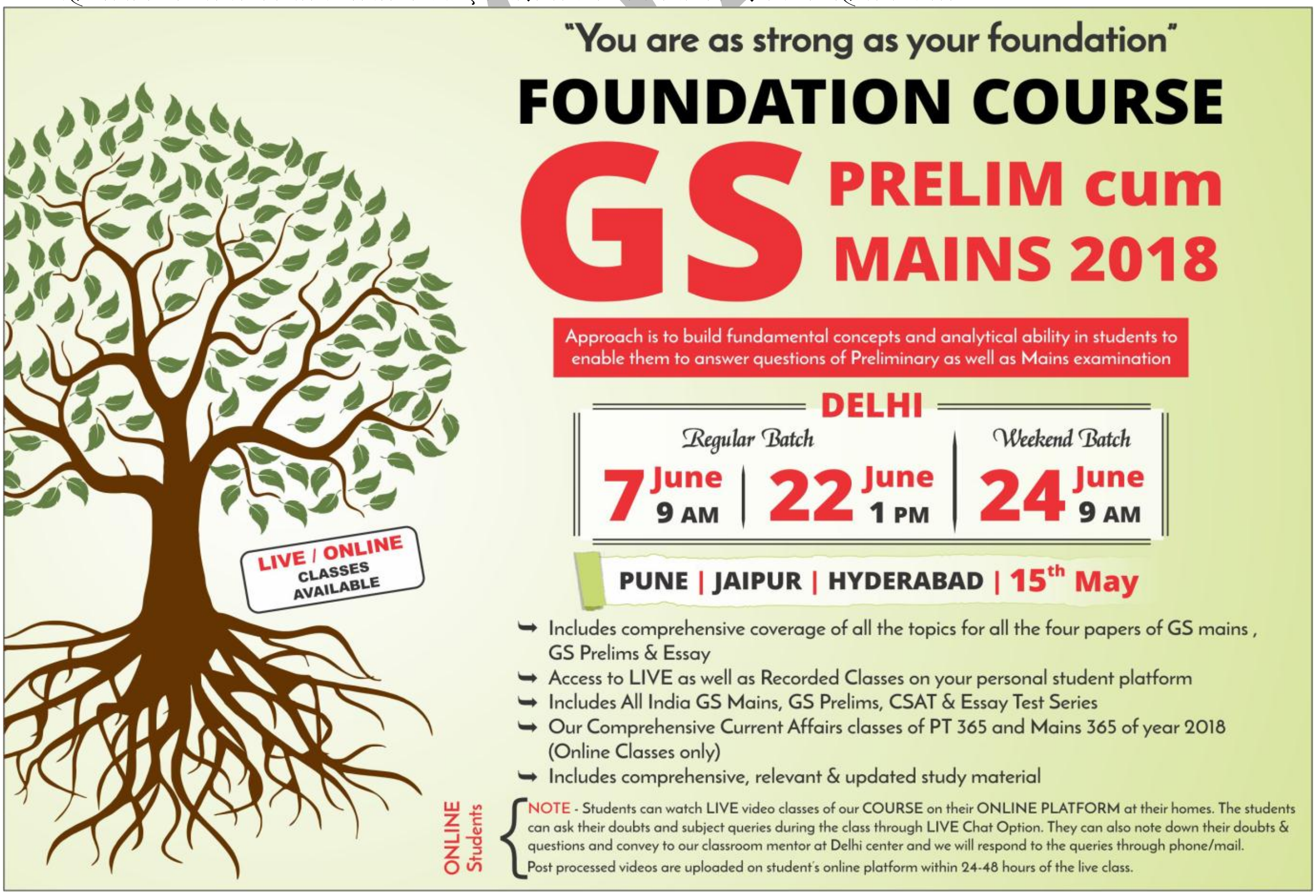

10. ऊर्जा

(ENERGY)

10.1. कोल मित्र

(Coal Mitra)

सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार ने सरकारी और निजी कंपनियों के बीच कोयले के आदान-प्रदान (coal swapping) को सुगम बनाने हेतु 'कोल मित्र' वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है।
- विद्युत् उत्पादन स्टेशन को कोयला और गैस जैसे ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति है। CIL की आपूर्ति कुल आवश्यकता का केवल 65% है, इसलिए अधिकांश मांग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन लागत बढ़ जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- यह प्रत्येक कोयला आधारित स्टेशन के संचालन मानकों और वित्तीय स्थिति से संबंधित आकड़े प्रदर्शित करेगा।
- केन्द्र/राज्यों के उत्पादक केन्द्रों द्वारा वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर विद्युत् शुल्क के लिए निर्धारित मानकों एवं पिछले महीने विद्युत के परिवर्तनीय शुल्कों से जुड़ी सूचनाओं के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पादन के लिए उपलब्ध मार्जिन को भी दर्शाया जाएगा, ताकि संबंधित उपक्रम कोयले के हस्तांतरण के लिए विद्युत केन्द्रों की पहचान कर सकें।

10.2. ऊर्जा गंगा परियोजना

(Urja Ganga Project)

- अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के वाराणसी में ऊर्जा गंगा नामक अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना की नींव रखी है।
- इसका लक्ष्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप्ड कुकिंग (PNG) गैस और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं

- इस परियोजना के तहत 2018 तक जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) को जोड़ने वाली एक 2,050 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच राज्य होंगेः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
- इस परियोजना को GAIL द्वारा लागू किया जा रहा है।
- सात पूर्वी भारतीय शहर अर्थात वाराणसी, जमशेदपुर, पटना, रांची, कोलकाता, भुबनेश्वर, कटक इस नेटवर्क विकास के प्रमुख लाभार्थी होंगे।

10.3. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

(Renewable Energy Capacities)

- पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन से अधिक हुआ है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की समग्र क्षमता बढ़ कर 42,849.38 मेगावाट हो गई है। 30 अप्रैल, 2016 के आंकड़ों के अनुसार, देश की 3 लाख मेगावाट से कुछ अधिक की स्थापित क्षमता में 42,783.42 मेगावाट की क्षमता जल विद्युत क्षेत्र की है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश केंद्र की मजबूत नीति और पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र के आरंभिक निवेश से लाभ हुआ है।

भारत में विद्युत् उत्पादन

तापीय- 69.3% जिसमें 60.8% कोयला आधारित हैं।

जल - 14.0%

नाभिकीय- 1.9%

नवीकरणीय स्रोत- 14.9%

10.4. सौर ऊर्जा

(Solar Energy)

10.4.1. राष्ट्रीय सौर मिशन

(National Solar Mission)

- यह NAPCC के आठ प्रमुख मिशनों में से एक है।
- हाल ही में लक्ष्यों को संशोधित किया गया है।

✓ वर्ष 2021-22 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन।

✓ *ग्राउंड माउंटेड* (ground mounted) ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा द्वारा 60 गीगावॉट और *रूफ़ टॉप* (roof top) ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा द्वारा 40 गीगावॉट का उत्पादन।

✓ चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 2,000 मेगावाट है और अगले साल का लक्ष्य 12,000 मेगावाट है।

भारत में सौर ऊर्जा क्षमता

• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 748 GW (गीगावॉट) है। जो हमारे देश में सभी स्रोतों की संचयी स्थापित क्षमता लगभग 275 GW से बहुत ज्यादा है।

सौर ऊर्जा सस्ती हो रही है

- सौर पैनल perovskites नामक पदार्थ से बन रहे हैं।
- हाल ही में SkyPower और SunEdison जैसी कंपनियों ने 5-6 रूपए/यूनिट के हिसाब से बोली लगायी जो कि बहुत कुछ ताप विद्युत संयंत्रों के समकक्ष है।

पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में यह कम व्यावहारिक है-

- सौर ऊर्जा सिर्फ सूरज के निकलने पर ही व्यवहार्य है।
- सौर पैनल मानसून या सर्दियों के दौरान कोहरे में कुशलता से काम नहीं करते।
- ग्रिड में तापीय ऊर्जा के साथ सौर ऊर्जा सम्मिश्रण कई सारी व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न करता है।
- सौर पैनल इनस्टॉल करने की पूंजी लागत भी अधिक है।
- घरेलू विनिर्माण एक कमजोर कड़ी है:

✓ भारतीय उत्पाद कम उन्नत किस्म के हैं।

✓ "मेक इन इंडिया" की सफलता के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इससे वर्ष 2030 तक उपकरणों के आयात में लगने वाली 42 अरब डॉलर की पूँजी की बचत होगी, और 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा कम से कम 125,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा।

10.4.2. भारत की विश्व व्यापार संगठन में दर्ज अपील में हार

(India Lost Appeal in WTO)

- भारत ने अपने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बड़ी सौर परियोजनाओं के लिए 'स्थानीय-खरीद' (buy-local) प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर निर्मित उपकरणों का परियोजनाओं में प्रयोग किये जाने पर उन्हें सब्सिडी और सरकारी खरीद का आश्वासन दिया गया था।
- भारत में आयातित सौर उपकरणों के संदर्भ में कोई भी अलाभकारी स्थितियां उत्पन्न न हों, इस कारण WTO ने इस वर्ष की शुरुआत में उपर्युक्त प्रावधान के खिलाफ निर्णय दिया था।
- WTO के अनुसार, स्थानीय सामग्री को प्रयोग करने का उपबंध स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को कमजोर करेगा, क्योंकि इस उपबंध के तहत अधिक महंगे और कम कुशल स्थानीय उपकरणों के उपयोग की अनिवार्यता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लागत प्रतिस्पर्धी होने को और अधिक कठिन बना देगी।
- इस प्रकार, भारत ने WTO के समक्ष इस मुद्दे पर एक अपील दायर की थी। हालांकि, हाल ही में अपील को खारिज कर दिया गया।

VISION IAS

10.4.3. सूर्यमित्र

(Suryamitra)

सूर्यमित्र कौन हैं?

सूर्यमित्र कुशल तकनीशियन होते हैं जो सौर ऊर्जा संचालित पैनलों, सौर ऊर्जा संयंत्रों और उपकरणों की स्थापना, संचालन, सुधार तथा मरम्मत आदि करते हैं। (उदाहरण: सौर कुकर, सौर हीटर, सौर पंप आदि)

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)

- यह नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जो सौर ऊर्जा क्षेत्र की सर्वोच्च राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्था है।
- भारत सरकार ने सितंबर 2013 में 25 साल पुराने सौर ऊर्जा केंद्र को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के रूप में एक स्वायत्त संस्था में परिवर्तित किया; इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सौर मिशन को लागू करने में और अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की सहायता करना है।

सूर्यमित्र पहल

- "सूर्यमित्र" एक आवासीय कार्यक्रम है, जो पूरी तरह से (100%) सरकार द्वारा वित्त पोषित है और भारतीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) द्वारा लागू किया जा रहा है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगले 3 साल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 "सूर्यमित्र" (कुशल श्रमिक) तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक सूर्यमित्र कार्यक्रम के तहत 3200 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य 7000 सूर्यमित्र को प्रशिक्षित करना है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के बारे में

- यह नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जो सौर ऊर्जा क्षेत्र की सर्वोच्च राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्था है।

सूर्यमित्र मोबाइल एप्लिकेशन

- "सूर्यमित्र" एक जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप है जिसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा बनाया गया है।
- यह एप्लिकेशन एक हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, जो हजारों कॉल को एक साथ संभाल सकता है और कुशलता से सूर्यमित्र की प्रत्येक विजिट (visit) की निगरानी कर सकती है।

10.4.4. केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा

(Centre to Double Solar Park Capacity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने सौर पार्क की क्षमता को **दोगुना करते हुए 40,000 MW तक बढाने** को मंजूरी दे दी है।
- राज्य सौर पार्क डेवलपर की पहचान करेगा और उस ज़मीन की भी पहचान करेगा जिस पर इसका निर्माण किया जाएगा।

योजना की पात्रता

- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के लिए पात्र हैं।
- भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत योजना का प्रशासन करेगी।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)

- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है।
- यह वर्तमान में भारत सरकार के कई सौर कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी है।

VISION IAS

10.5. नाभिकीय ऊर्जा

(Nuclear Energy)

10.5.1. आंध्रप्रदेश: देश का परमाणु ऊर्जा हब

(Andhra Pradesh: Country's Nuclear Power Hub)

- आंध्र प्रदेश में अमेरिका और रूस की साझेदारी में हजारों मेगावाट क्षमता के छह परमाणु संयंत्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है।
- यदि रूस, अमेरिका और NPCIL के विचाराधीन सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो जाए तो आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (NPPs) की कुल क्षमता, मोदी सरकार के 2031 तक 63,000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य से 30,000 मेगावाट अधिक हो जाएगी।
- तोशिबा-वेस्टिंगहाउस के "अमेरिकन पार्टिसिपेशन" योजना के तहत स्थापित किये जाने वाले 1,100 मेगावाट के 6 AP1000 रिएक्टरों को भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाले "किसानों के कड़े विरोध प्रदर्शन" के कारण हटाकर अब आंध्र प्रदेश ले जाया जा सकता है। पहले गुजरात के मीठीवर्दी में इन्हें स्थापित किये जाने की योजना थी।
- राज्य सरकार ने अपना न्यूक्लियर पार्क कोव्वाड़ा में स्थापित करने की योजना बनाई है, जहां एक अन्य अमेरिकी कंपनी जीई हिताची को भी 1594 मेगावाट क्षमता के ६ इकोनॉमिक सिम्प्लिफायिड बॉयल्ड वाटर रिएक्टर्स (ESBWRs) स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गयी थी परन्तु यह परियोजना अत्यंत धीमी गति से चल रही है।
- रूसी स्वामित्व वाली कंपनी Rosatomcould भी आंध्र प्रदेश में छह रिएक्टरों के अपने अगले चरण का निर्माण करेगी। छह रूसी रिएक्टरों के अगले सेट के लिए नेल्लोर जिले में कवाली नामक स्थान प्रस्तावित है, जिसकी घोषणा अक्टूबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान की जा सकती है।
- पश्चिम बंगाल के हरिपुर में प्रस्तावित एक अन्य रूसी परियोजना, 1000 मेगावाट के 6 'VVER' (वाटर-वाटर एनर्जी) रिएक्टर के निर्माण को भी स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के कारण आंध्र प्रदेश स्थानांतरित किया जा सकता है।

10.5.2. परमाणु संयंत्रों का बीमा

(Nuclear Plants Insured)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की पहली बीमा पॉलिसी, जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ऑपरेटर के लिए सार्वजनिक देयता (public liability) को कवर करती है, न्यूक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को जारी की गयी है।

- न्यूक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- NPCIL परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- यह वर्तमान में 5780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अधिनियम (कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन-CSC) को अनुसमर्थित किया गया है।
- जून 2015 में सरकार के स्वामित्व वाली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन-रिइंस्युरर (GIC-Re) और अन्य भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा इंडिया न्यूक्लिअर इंश्योरेंस पूल आरंभ किया गया।
- यह पूल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डैमेज एक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत ऑपरेटर के दायित्व को कवर करने के लिए NPCIL को एक बीमा उत्पाद प्रदान करता है।
- इसमें परमाणु क्षति के लिए अधिकतम देयता के रूप में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

VISION IAS

10.5.3. दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल

(2nd Generation Ethanol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के लिए मसौदा नीति की घोषणा की है।
- दिसंबर 2014 में ही कैबिनेट ने मोलासेस (molasses) के अतिरिक्त अन्य गैर-खाद्य फीडस्टॉकों (feedstocks) को इथेनॉल के स्रोत के रूप में ईंधन में सम्मिश्रित कर उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।
- यह नीति इथेनॉल उत्पादन के लिए मोलासेस के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए बनायी गयी है, क्योंकि देश में मोलासेस की कमी है।
- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बायोमास, बांस, धान के पुआल , गेहूं के पुआल, और कपास के पुआल आदि से वाहनों के ईंधन के लिए दूसरी पीढ़ी इथेनॉल के उत्पादन का तरीका विकसित करेंगे।

10.5.4. ग्लोबल विंड पॉवर इन्सटाल्ड कैपेसिटी इंडेक्स

(Global Wind Power Installed Capacity index)

- भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में 2015 में 25,088 मेगावाट की क्षमता के साथ ग्लोबल विंड पॉवर इन्सटाल्ड कैपेसिटी इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा है।
- यह सूचकांक , ग्लोबल विंड एनर्जी कौंसिल(GWEC) के प्रमुख प्रकाशन-ग्लोबल विंड रिपोर्ट :एनुअल मार्किट रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जारी किया गया था।
- इस सूचकांक के अनुसार क्रमशः 145,362 मेगावाट, 74471 मेगावाट और 44,947 मेगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ, चीन प्रथम , अमेरिका दुसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है।
- भारत ने 2015-16 में 3,423 मेगावाट की उत्पादन वृद्धि के साथ पवन ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। यह लक्ष्य से 44%अधिक है।

10.6. GAS4INDIA

(GAS4INDIA)

- #Gas4India एक एकीकृत पार-देशीय, मल्टीमीडिया, मल्टी-इवेंट अभियान है। इसका लक्ष्य अपनी पसंद के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों को प्रत्येक नागरिक तक प्रचारित करना है।
- यह अभियान सीधे चर्चा, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, और अपनी आधिकारिक ब्लॉगसाइट का उपयोग करता है ।

10.7. नई जलविद्युत परियोजनाएं

(New Hydro Projects)

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन फ्लैगशिप जलविद्युत परियोजनाओं - 800 मेगावाट कोल्दम (koldam) हाइड्रो पॉवर स्टेशन (NTPC), 520 मेगावाट पार्वती प्रोजेक्ट (NHPC) और 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पॉवर स्टेशन (SJVNL) को हिमाचल प्रदेश के मंडी में राष्ट्र को समर्पित किया।

10.8. विद्युत् क्षेत्रक

(Power Sector)

10.8.1. सभी के लिए 24X7 बिजली

(24X7 Power for All)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम गारंटी योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

VISION IAS

- इसने "सभी के लिए 24X7 बिजली" पहल के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं।

पृष्ठभूमि

- "सभी के लिए 24X7 बिजली" का उद्देश्य 2019 तक देश में हर समय हर जगह 24x7 बिजली प्रदान करना है।
- तमिलनाडु द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ अब उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्यान्वयन का दौर आरम्भ हो गया है।
- आंध्र प्रदेश और राजस्थान पहले राज्य हैं जिन्होंने 24X7 बिजली प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- गहन विश्लेषण से यह पता चला कि सभी के लिए बिजली प्रदान करने की दिशा में राज्य वित्तीय व्यवहार्यता के मामले में पीछे हैं।
- इसलिए UDAY (उदय) का गठन किया गया ताकि घाटे में चल रही DISCOMs (वितरण कंपनियों) को सहारा दिया जा सके।
- UDAY के अतिरिक्त सरकार ने पिछले दो वर्षों में सभी के लिए 24X7 बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई अन्य पहलों यथा UJALA (उजाला: LED प्रकाश बल्ब का वितरण), DDUGJY और IPDS; की शुरुआत की है।
- सभी के लिए 24X7 बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017-18 के बजट में DDUGJY (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) और IPDS (**एकीकृत बिजली विकास योजना**) के लिए आवंटन में 25% की वृद्धि की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 बिजली की आपूर्ति हेतु विद्युत् मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- यह 2015 में पटना में आरम्भ की गयी थी।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए इसके पूर्व चलाई गयी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को, इस योजना में सम्मिलित (subsume) कर दिया गया है।

10.8.2 गर्व II ऐप

(GARV II APP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विद्युत् मंत्रालय ने देश के सभी (6 लाख) गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में रियल टाइम में डेटा उपलब्ध कराने के लिए GARV एप्लीकेशन का शुभारम्भ किया।
- पूर्ववर्ती GARV एप्लीकेशन केवल 18,452 अविद्युतीकृत गांवों के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय में डेटा प्रदान करता था। जबकि GARV II सभी गांवों के बारे में रियल टाइम डाटा प्रदान करेगा ।

किसी गांव के विद्युतीकरण का अर्थ

2004-05 से लागू विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार, एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा, यदि:

- डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसफार्मर जैसी आधारभूत संरचनाएं गाँव की आबादी तक पहुंच गए हैं, साथ ही दलित बस्तियों तक पहुंच गए हैं।
- गाँव के सामुदायिक स्थानों जैसे- स्कूल, पंचायतघर, स्वास्थ्य केंद्र, दवाघर और सामुदायिक घर तक बिजली पहुंच गई हो।
- विद्युतीकृत घरों की संख्या, गाँव के कुल घरों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत हो।

GARV ऐप की मुख्य विशेषताएं

- 15 लाख से अधिक आवासीय गांवों का मानचित्रण किया गया है।
- इसमें "SAMVAD (संवाद)" नामक एक नागरिक संलग्नता विंडो भी है जिसके माध्यम से लोग अपनी प्रतिक्रिया और परामर्श दे सकते हैं। यह स्वचालित ढंग से (ऑटोमेटिकली) सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुँच जाएगी।
- DDUGJY के तहत राज्यों को अनुमोदित धनराशि ऐप पर तुरंत अपडेट कर दी जाएगी।
- राज्य सरकारों के कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य की प्रगति प्रतिदिन के आधार पर ऐप पर अपडेट की जाएगी।

VISION IAS

10.8.3. तरंग मोबाइल एप्लिकेशन, "ई-ट्रांस (E-TRANS)" तथा दीप (DEEP)

(TARANG Mobile App, "E-TRANS" And DEEP)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीयूष गोयल ने तरंग (TARANG) मोबाइल एप्लिकेशन, ई-ट्रांस (E-TRANS) और दीप (DEEP) ई-निविदा पोर्टलों का शुभारंभ किया।
- ये पोर्टल देश में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किये गये हैं।

तरंग (मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल)

- यह *ट्रांसमिशन ऐप फॉर रियल टाइम मोनिटरिंग एंड ग्रोथ* (Transmission App for Real Time Monitoring and Growth) को द्योतित करता है।
- यह आगामी परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए एक मॉनिटरिंग टूल के रूप में कार्य करेगा।
- यह ग्रीन एनर्जी कोरिडोर की मॉनिटरिंग भी करेगा।

E-TRANS

- यह पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (TBCB) हेतु ई-बिडिंग और ई-रिवर्स ऑक्शन (नीलामी) के लिए वेब प्लेटफॉर्म है।
- ई-ट्रांस के साथ ट्रांसमिशन के क्षेत्र में रिवर्स नीलामी भी शुरू की जा रही है।

DEEP (Discovery of Efficient Electricity Price)

- यह मध्यम अवधि (1-5 वर्ष) के लिए बिजली की खरीद के लिए एक **ई-निविदा पोर्टल** है।
- यह एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी बिजली प्रबंध सुविधा के लिए **ई- रिवर्स नीलामी की सुविधा के साथ एक सार्वजनिक ई-निविदा मंच** प्रदान करेगा।

10.8.4. राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) का मसौदा

(Draft National Electricity Plan [Generation])

सुर्ख़ियों में क्यो?

- केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण (CEA) ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) का मसौदे का विमोचन किया।

> - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA): यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक वैधानिक संस्था है।
> - यह राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप एक राष्ट्रीय विद्युत योजना का निर्माण करती है।

मसौदा योजना की मुख्य विशेषताएं

- दस्तावेज में 2017-22 के दौरान, गैस से 4340 मेगावाट, जलविद्युत से 15,330 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा से 2,800 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 115326 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता (capacity) के सृजन अनुमान लगाया गया है।
- विद्युत् उत्पादन हेतु 2022-27 की अवधि के लिए, जल और परमाणु आधारित परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- इस अवधि में कोयला आधारित क्षमता बढ़ाने (capacity addition) की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 44 गीगावॉट की आवश्यकता है और 50 गीगावॉट की क्षमता परियोजना पहले से ही निर्माणाधीन है।
- इसमें उल्लेख है कि, 2021-22 और 2026-27 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का क्रमशः 20.3 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन द्वारा वहन किया जाएगा।
- भारत में अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों को मद्देनज़र रखते हुए, इसने अगले 10 वर्षों में भारत में उच्च विद्युत् मांग के संबंध में 18वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (EPS) की रिपोर्ट में लगाए गए अनुमानों की तुलना में आवश्यक विद्युत मांग को कम करके आंका है।

VISION IAS

10.8.5. लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (LGBR)

(Load Generation Balance Report)

- LGBR में सरकार पूर्व की ऊर्जा उत्पादन न्यूनता (पॉवर डेफिसिट: deficit in power) के अनुसार आगे के ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना बनाती थी। विद्युत ऊर्जा की माँग और पूर्ति परिदृश्य का वर्णन करने के लिए प्रतिवर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है।
- रिपोर्ट में ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता और उपलब्धता के माह-वार आँकड़े शामिल होते हैं। साथ ही, अखिल भारतीय वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के अनुसार वर्ष के लिए अधिकतम मांग और उपलब्धता शामिल होती है।
- LGBR को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। केन्द्रीय/राज्य/निजी उत्पादन कंपनियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की जाती है।

10.9. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency)

10.9.1. ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र

(Energy Saving Certificates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के मसौदे (ड्राफ्ट एनर्जी सेविंग्स सर्टिफिकेट) के नियमों के तहत, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC) ने पॉवर एक्सचेंजेज़ पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों (ESCs) के व्यापार को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव

- पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को ESCs के रजिस्ट्री (registry) की भूमिका निभानी है।
- ESCs के विनिमय के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को प्रशासक की भूमिका में नियुक्त किया गया है।
- CERC समय-समय पर प्रशासक द्वारा तैयार की गई प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करेगा और उन्हें स्वीकृति देगा। यह विद्युत् बाजारों के सन्दर्भ में बाजार पर्यवेक्षण (market oversight)भी करेगा।

परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम (Perform Achieve and Trade scheme)

- यह राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency) के तहत एक योजना है।
- इसे ऊर्जा-गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- यह प्रमुख उद्योगों जैसे ताप विद्युत, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि को लक्षित करती है।
- यह बाजार आधारित तंत्र (market based mechanism) है जो ESCerts (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र) के व्यापार की अनुमति देता है।
- ऊर्जा दक्षता मानकों को हासिल करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा 2013 में ESCerts पेश किए गए थे।
- ये BEE या विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।
- एक प्रमाण पत्र एक मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (one metric tonne of oil equivalent: mtoe) ऊर्जा की खपत के बराबर है।

VISION IAS

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificates):

- यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और *मैंडेटरी परचेज़ ऑब्लिगेशंस* (mandatory purchase obligations) के बीच असंगतता को संबोधित करता है।
- इसका मूल्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा अन्तःक्षेपित (injected) 1 मेगावाट प्रति घंटे विद्युत के बराबर है।

10.9.2. स्टैंडड्र्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम

(Standards & Labelling Programme)

- BEE ने 2006 में उपकरणों के लिए स्टैंडड्र्स एंड लेबलिंग कार्यक्रम का आरम्भ किया
- इस योजना को 21 उपकरणों के लिए लागू किया गया है, जिसमें से 7 के लिए अनिवार्य है।
- इसके अंतर्गत उत्पादों को एक से पांच तक की स्टार रेटिंग दी जाती है; पांच स्टार से आशय सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष उत्पाद से है।
- उपकरणों के तहत फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप (TFLs), एयर कंडीशनर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर्स, पंप सेट,सीलिंग पंखे , तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) स्टोव, इलेक्ट्रिक गीजर,बलास्ट, कंप्यूटर, कार्यालयीय उपकरण, और रंगीन टीवी इत्यादि शामिल हैं।

10.9.3. EEFP और EEAPP

(EEFP and EEAPP)

एनर्जी एफ़ीशिएंट फैन्स प्रोग्राम (EEFP)

- इस कार्यक्रम के तहत 50 वाट के पंखों को EESL द्वारा प्रति यूनिट 1150 रूपए के अग्रिम भुगतान अथवा कुल 1200 रूपए को मासिक क़िस्त में विभाजित (EMI) कर उपलब्ध कराया जाएगा।
- मासिक क़िस्त उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।

एनर्जी एफ़ीशिएंट एग्रीकल्चरल पम्प्स प्रोग्राम (Energy Efficient Agriculture Pumps Programme)

- यह योजना किसानों के पुराने और कम ऊर्जा कुशल पंप सेट को नि:शुल्क बदलने के लिए EESL द्वारा आरम्भ की गयी है।
- EESLकिसानो द्वारा पंप के संचालन को सरल बनाने के लिए स्मार्ट नियंत्रण पैनल भी प्रदान करेगा।
- 4 या 5 स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंप ऊर्जा की खपत में न्यूनतम 30% की कमी करता है।

10.9.4. अटल अक्षय ऊर्जा भवन

(Atal Akshay Urja Bhawan)

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एकीकृत मुख्यालय की इमारत का यह नामकरण किया जाएगा।
- वर्तमान में MNRE का कार्यालय CGO कॉम्प्लेक्स में तीन अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक में स्थित है। इसमें 400 अधिकारी कार्यरत हैं।
- इसे नेट जीरो एनर्जी ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा पर तैयार किया जायेगा।
- इस इंटरैक्टिव तथा यूज़ रेस्पोंसिव इमारत में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के प्रदर्शन (showcsing) के लिए एक **ऊर्जा दीर्घा (एनर्जी पवेलियन)** बनाई जाएगी।

VISION IAS

10.9.5. स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)

(Street Lighting National Programme: SLNP)

- यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, जिसे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले संयुक्त उद्यम, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा लागू किया जा रहा है।
- SLNP जनवरी 2015 में आरम्भ किया गया था।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को मार्च 2019 तक स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष LED स्ट्रीट लाइट द्वारा बदल दिया जाएगा।
- इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था।

10.10. FAME स्कीम

(FAME Scheme)

- 1 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME)-इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles (FAME) – India) के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु राष्ट्रीय मिशन के तहत देश में पर्यावरण अनुकूल वाहन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यह योजना आरम्भ की गई थी।
- इस योजना का लक्ष्य है- निर्धारित अवधि देश में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास में सहयोग देना और इसके विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- समग्र योजना को अगले 6 वर्षों की अवधि में, अर्थात 2020 तक लागू किया जाना है।
- यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। चरण -1 को दो वर्ष में वित्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लागू किया जाएगा।
- योजना के चार फोकस क्षेत्र - प्रौद्योगिकी विकास, पायलट परियोजनाएं, मांग निर्माण (Demand Creation) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) हैं।
- भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग, इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया जाएगा।

11. रिपोर्ट

(REPORTS)

11.1 मानव विकास सूचकांक (HDI)

(Human Development Index)

- जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण भारत नवीनतम UNDP रिपोर्ट में 131वें स्थान पर था I
- मानव विकास सूचकांक (HDI) मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक संक्षिप्त माप है: इन आयामों में एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन,शिक्षा और जीवन का एक मानक स्तर शामिल है।
- HDI,प्रत्येक तीन आयामों के सामान्यीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य हैI

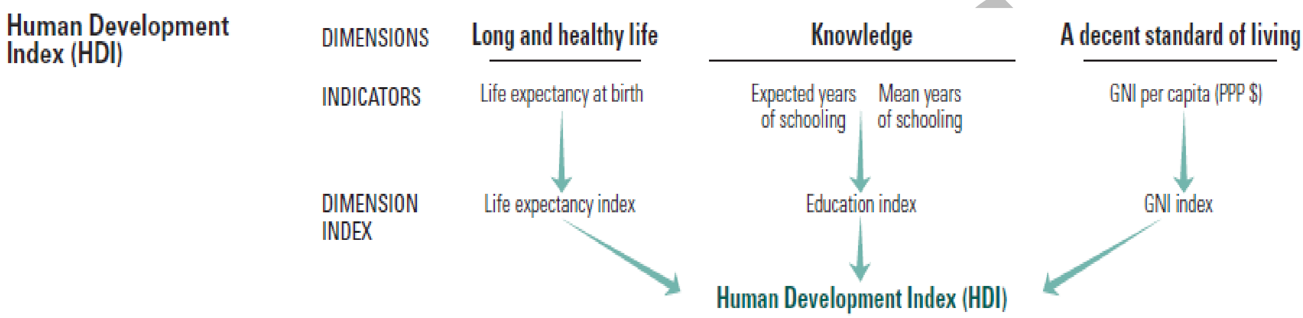

11.2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स

(Sustainable Development Goal Index)

- यह सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफटंग द्वारा आरम्भ किया गया था।
- यह SDG की प्रगति पर नज़र रखने और शीघ्र कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करके जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक रिपोर्ट है।
- भारत 149 देशों में से 110वें स्थान पर है जो एक निम्न रैंक है जबकि स्वीडन सर्वोच्च स्थान पर है।
- यह सूचकांक दिखाता है कि इन सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में सभी देशों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- जो देश इन लक्ष्यों को पूरा करने के सबसे निकट हैं वे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं हैं, बल्कि तुलनात्मक रूप से छोटे, विकसित देश हैं।

11.3 मानव पूँजी सूचकांक

(Human Capital Index)

- यह सूचकांक जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच(World Economic Forum) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह सूचकांक 130 देशों को रैंक के अनुसार यह प्रदर्शित करता है कि वे देश किस प्रकार विकसित हो रहे हैं और अपनी प्रतिभाओं को कितना अवसर दे रहे हैं।
- सूचकांक मानव पूंजी के लिए 15 से 65 साल के विशिष्ट आयु के लोगों की शिक्षा के स्तर, कौशल और रोजगार के स्तर का मूल्यांकन लाइफ कोर्स एप्रोच (life-course approach) के अनुसार करता है।
- इस वर्ष का संस्करण कौशल-विविधता, तीव्र अर्थव्यवस्था और प्रतिभाओं की गतिशीलता पर नवीन अंतर्दृष्टि को प्रकट करने हेतु नए डेटा स्रोतों की पड़ताल/खोज करता है।
- इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर भारत निचले पायदान-105 वें स्थान पर है जबकि फिनलैंड पहले स्थान पर था।

 ©Vision IAS

11.4 स्टेट ऑफ़ ICT इन एशिया एंड द पैसिफिक 2016 : ब्रॉडबैंड डिवाइड

(State of ICT in Asia and the Pacific 2016: Broadband Divide)

- यह यूनाइटेड नेशन इकॉनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसेफिक (ESCAP) का एक अध्ययन है।
- 2015 में एशिया प्रशांत देशों में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अपनाने के मामले में भारत का 39वां स्थान है। मात्र 1.3 प्रतिशत भारतीय नागरिकों ने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा को अपनाया है।

ESCAP के बारे में

- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है। इसमें 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य शामिल हैं।
- यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और सतत आर्थिक-सामाजिक विकास को प्राप्त करने हेतु सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक व्यापक बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है।

11.5 वर्ल्ड इकॉनोमिक फ्रीडम

(World Economic Freedom)

- यह कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के सहयोग से भारत के अग्रणी सार्वजनिक थिंक टैंक, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी किया जाता है।
- यह देशों की आर्थिक स्वतंत्रता की उपलब्धियों को पांच व्यापक क्षेत्रों के आधार पर मापता है।
- यह रिपोर्ट 2014 के आंकड़ों पर आधारित है।
- भारत 2016 में इस सूचकांक में 10 पायदान नीचे पहुँच गया है। हांगकांग सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर है, तत्पश्चात सिंगापुर और न्यूजीलैंड का स्थान है।

11.6. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स

(International Intellectual Property Index)

- यह U.S.चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर (GIPC) द्वारा जारी किया गया है।
- 2017 के सूचकांक में भारत 45 देशों में से 43वीं रैंक (केवल पाकिस्तान और वेनेजुएला के ऊपर) के साथ निचले पायदान पर बना हुआ है।
- यह सूचकांक 30 मानदंडों पर आधारित है जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सुरक्षा, प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संधियों में सहभागिता आदि शामिल है।

11.7. समावेशी विकास सूचकांक

(INCLUSIVE DEVELOPMENT INDEX)

- इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपने 'इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017' में जारी किया गया था।
- भारत, पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से नीचे 79वें स्थान पर था तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 60 वें स्थान पर था। लिथुआनिया सूची में सर्वोच्च पायदान पर है।
- समावेशी विकास सूचकांक (IDI) 12 निष्पादन संकेतकों और तीन स्तंभों पर आधारित है

✓ संवृद्धि और विकास
✓ समावेशन और इन्टरजनरेशनल इक्विटी
✓ संधारणीयता (Sustainability)

- IDI स्कोर 1 से 7 के स्केल पर आधारित हैं। उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के IDI स्कोर गरीबी की विभिन्न परिभाषाओं के कारण पूर्णतया तुलना के योग्य नहीं हैं।

VISION IAS

11.8. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स

(India Innovation Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स विकसित करने हेतु विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स:GII

- GII, नॉलेज पार्टनर के रुप में CII के साथ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD द्वारा सह-प्रकाशित है।
- 2007 में स्थापना के बाद से ही यह नवाचार क्षमताओं और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों सहित 82 संकेतकों के उपयोग के परिणामों के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग करता आ रहा है।
- वर्तमान GII 2016 में, 128 देशों में भारत 66 वें स्थान पर है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और अधिक जानकारी

- यह "अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म" होगा, जहां GII के संकेतक और विभिन्न राज्यों से भारत-केंद्रित आंकड़ों को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में देश के सभी राज्यों के नवाचार प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इस आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
- इस इंडेक्स को GII संकेतक में प्रयुक्त सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर और साथ ही भारतीय नवाचार पारितंत्र को वास्तव में प्रतिबिंबित करने वाले भारत-केंद्रित मापदंडों को सम्मिलित कर संरचित किया जाएगा।
- यह इंडेक्स नवाचार और उप-सूचकांक के प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा, जो एक साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण में सहायता करेगा।
- इन स्तंभों में संस्थानों की सुदृढ़ता, मानव पूंजी एवं अनुसंधान की क्षमता, सहायक अवसंरचना और कारोबारी विशेषज्ञता (business sophistication) का स्तर आदि सम्मिलित हैं।
- 4-6 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में इंडिया इकोनोमिक समिट के दौरान प्रथम रैंकिंग जारी किए जाने की संभावना है।

11.9. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

Ease of Doing Business

11.9.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

(Ease of Doing Business Rankings)

पृष्ठभूमि

- विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं की उनकी ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने की सुगमता) के आधार पर रैंकिंग करता है।
- ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की उच्च रैंकिंग का अर्थ यह है कि विनियामकीय वातावरण स्थानीय फर्म का शुभारंभ और संचालन करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है।
- यह रैंकिंग 10 शीर्षकों पर फ्रंटियर स्कोर से कुल दूरी की गणना करके निर्धारित की जाती है। प्रत्येक शीर्षक कई संकेतकों से मिलकर बना है तथा प्रत्येक शीर्षक को बराबर महत्व दिया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस रैंकिंग में भारत निचले पायदान पर रहा है। 2017 की हाल की रैंकिंग में, भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है।

A Long Way To Go

	2017 Rank	2016 Rank
Overall	130	131
Starting A Business	155	151
Dealing With Construction Permits	185	184
Getting Electricity	26	51
Registering Property	138	140
Getting Credit	44	42
Protecting Minority Investors	13	10
Paying Taxes	172	172
Trading Across Borders	143	144
Enforcing Contracts	172	178
Resolving Insolvency	136	135

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking — Bloomberg | Quint

VISION IAS

- यह मामूली सुधार भी चार संकेतकों - विद्युत प्राप्ति, अनुबंधों का प्रवर्तन, सीमा-पार व्यापार और संपत्ति के पंजीकरण में कुछ हद तक सुधार के चलते आया है।

11.9.2. SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Swift: Ease of Doing Business)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व बैंक की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट- 2016 में भारत 2015 की तुलना में चार पायदान ऊपर आ गया है। अब इसकी रैंकिंग 2015 के 134वें स्थान की तुलना में 130वीं (189 देशों के बीच) हो गयी है।
- रैंकिंग में सुधार का एक कारण SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade) है।

SWIFT क्या है?

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 को SWIFT का शुभारंभ किया।
- SWIFT वस्तुतः आयातकों/निर्यातकों को ICEGATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data Interchange Gateway) पर एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डेक्लेरेशन दायर करने के लिए सक्षम बनाता है।
- यह एकीकृत घोषणा मुख्यतः सीमा शुल्क, FSSAI, पादप संगरोध (Plant Quarantine), पशु संगरोध, ड्रग कंट्रोलर, वन्य जीवन नियंत्रण ब्यूरो और वस्त्र समिति के लिए आवश्यक जानकारी को संकलित करता है।

11.10. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स

(Network Readiness Index)

- जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में जारी 2016 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर है।
- यह डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल समाज की ओर अग्रसर होने हेतु आवश्यक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने में विभिन्न देशों की सफलता को मापता है।

विश्व आर्थिक मंच के बारे में

- इसका गठन 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है।
- वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी एजेंडे को आकार देने हेतु यह महत्वपूर्ण राजनीतिक, व्यापारिक और समाज के अन्य नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है।

11.11. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स)

(Economic Freedom Index)

- वर्तमान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से अमेरिका अवस्थित हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है।
- यह सूचकांक प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर आर्थिक समृद्धि का एक मापक है।
- विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित 2016 की रिपोर्ट में 159 देशों की सूची में भारत का 112वां स्थान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 स्थानों के गिरावट को भी प्रदर्शित करता है।
- इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, आर्थिक स्वतंत्रता अग्रलिखित व्यापक आयामों पर निर्भर करता है: निजी-स्वामित्व वाली संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश हेतु सामर्थ्य और कानून का शासन।

11.12. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(Global Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम: WEF) की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है तथा वर्तमान में भारत का 39वां स्थान है।

VISION IAS

मुख्य तथ्य

- 39वें रैंक पर पहुंचने के लिए भारत की रैंकिंग में 16 स्थानों का सुधार हुआ है, जिससे यह सर्वेक्षण में शामिल 138 देशों में सबसे तेजी से अपनी रैंकिंग सुधारने वाला देश बन गया है।
- वैसे तो संपूर्ण सूचकांक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार परिलक्षित हुआ है, परन्तु यह विशेष रूप से वस्तु बाजार दक्षता (60), व्यापार परिष्कार (35) और नवाचार (29) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हुआ है।
- BRICS देशों के बीच भारत दूसरा सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी देश है । 28वें रैंक पर होने के कारण (BRICS देशों में) चीन प्रथम स्थान पर है।

11.13. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट

(World Employment and Social Outlook Report)

सुखियों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक- ट्रेंड्स रिपोर्ट 2016 जारी की है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में बेरोजगारों की संख्या 2016 में 17.7 मिलियन से बढ़कर 2018 तक 18 मिलियन हो जाएगी। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2017 में रोजगार की दर 3.5% से घटकर 3.4% हो जाएगी।
- रिपोर्ट में 'वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट' से संबंधित पूर्वानुमानों को सम्मिलित किया गया है।

वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट

- ILO के अनुसार, असुरक्षित रोजगार स्वरोजगार कार्मिक (own account workers) और परिवार के अवैतनिक श्रमिकों (unpaid family workers) को शामिल करता है।
- इनके पास बेहतर कार्य दशाओं, सामाजिक सुरक्षा या किसी यूनियन में प्रतिनिधित्व का अभाव होता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- इसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के एक भाग के रूप में की गई थी।
- यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो सरकारों, नियोक्ताओं और सदस्य राज्यों के श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका उद्देश्य सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने के लिए श्रमिक मानकों, नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करना है।
- भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।
- इसके तीन मुख्य निकाय हैं-

✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) - यह श्रम मानकों और व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है।

✓ प्रशासी निकाय (Governing Body) - यह कार्यकारी निकाय है जो अंतिम निर्णय लेता है।

✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office) - यह ILO का स्थायी सचिवालय है जिसका पर्यवेक्षण शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

11.14. वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI)

[World Trade Outlook Indicator (WTOI)]

- विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार की प्रवृत्तियों पर "रियल टाइम" में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नया वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI) प्रारंभ किया है।
- WTOI प्रवृत्ति के साथ प्रदर्शन करने हेतु एक हैडलाइन आंकडें प्रदान करता है।
- इसमें 100 की रीडिंग हालिया प्रवृत्तियों के अनुरूप व्यापार वृद्धि का संकेत देती है, 100 से ऊपर की रीडिंग प्रवृत्ति से अधिक वृद्धि का संकेत देती है, जबकि 100 से नीचे की रीडिंग प्रवृत्ति से निम्न वृद्धि को इंगित करती है।
- WTOI को तिमाही आधार पर अपडेट किया जाएगा।

VISION IAS

11.15. विश्व निवेश रिपोर्ट 2016

(World Investment Report 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेंट: UNCTAD) ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 जारी की है।

UNCTAD के बारे में

- UNCTAD, व्यापार, निवेश, और विकास के मुद्दों से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक प्रमुख अंग है। इस संगठन का लक्ष्य "विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ाना" है।
- यह विश्व निवेश मंच (वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम) का आयोजन करता है।
- यह निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है:

✓ विश्व निवेश रिपोर्ट (वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट)

✓ प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट (टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट)

11.16. ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स

(Global Retail Development Index)

- ए. टी. कर्नी द्वारा जारी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (GRDI) में भारत की रैंकिंग में 13 स्थानों की बढ़त हुयी है। वर्ष 2016 में इसे खुदरा क्षमता में दूसरे स्थान पर रखा गया था।
- 25 समष्टि अर्थशास्त्रीय और खुदरा-विशिष्ट चरों के आधार पर वर्तमान और भावी क्षमता से संपन्न आकर्षक बाजारों की पहचान करने के लिए 30 विकासशील देशों का विश्लेषण किया गया था।
- इस प्रकार यह रिपोर्ट खुदरा व्यापारियों को बाजार निवेश के उभरते अवसरों की पहचान करने के लिए सफल वैश्विक रणनीति निर्मित करने में सहायता करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 और 2015 के बीच भारत में 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से खुदरा क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा स्वतंत्र और असंगठित खुदरा बाजारों के घरेलू वित्तपोषण से संचालित हुआ।
- ई-कॉमर्स भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है।

11.17. विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI)

(World Bank's Logistics Performance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक समूह ने हाल ही में अपनी छह माही रिपोर्ट: "कनेक्टिंग टू कम्पीट 2016: ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन ग्लोबल इकॉनमी" जारी की।

लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) क्या है?

LPI वस्तुतः किसी देश में तथा उसके भीतरी भागों में उत्पादों की आवाजाही की सुगमता और क्षमता की तुलनात्मक स्थिति को मापता है।

मुख्य बिंदु

- भारत की रैंकिंग में 19 स्थानों का सुधार हुआ है, जो 2014 के अपने 54वें स्थान से बढ़ कर 2016 में 35वें स्थान पर आ गई है।
- LPI देश के भीतर माल की आवाजाही की लागत और अक्षमता को दर्शाता है, विशेष रूप से राज्यों के आर-पार जहां आंतरिक बाधाएं अधिक होती हैं।

11.18 द एशिया-पेसिफ़िक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2016

(APTIR, 2016)

- द एशिया-पेसिफ़िक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट (APTIR), यूनाइटेड नेशन्स ESCAP के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन है।
- यह रिपोर्ट एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और निवेश के रुझान और विकास को समझने में मदद करती है।

VISION IAS

12. विविध

(MISCELLANEOUS)

12.1. बासमती के GI टैग संबंधी दावे पर विवाद

(Dispute Over Basmati GI Tag Claim)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- फ़रवरी 2016 में, IPAB (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड) ने अपने एक निर्णय में हिमालय की तलहटी पर गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पादित होने वाले बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा देने की अनुमति प्रदान कर दी।
- GI का दर्जा वस्तुतः उत्पादों के विक्रय और निर्यात में सहायता करता है, क्योंकि GI टैग निश्चित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उक्त वस्तु के विक्रय में सहायता करता है।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI)

- GI को व्यापार संबंधी पहलुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) समझौते पर WTO समझौते के अनुच्छेद 22 (1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- GI किसी विशिष्ट भौगोलिक उद्गम वाले उत्पादों पर प्रयुक्त होने वाला एक संकेतक है और उस उत्पाद की विशेषता या प्रसिद्धि उसके भौगोलिक उद्गम के कारण होती है।
- GI अधिकार, GI का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त लोगों को तीसरे पक्ष द्वारा इसका उपयोग रोकने हेतु सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि तीसरे पक्ष का उत्पाद उपयुक्त मानकों के अनुरूप नहीं होता है।
- हालांकि, एक संरक्षित GI, धारक को हुबहू उस तकनीक के उपयोग से किसी व्यक्ति को उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है, जो उस संकेतक के मानकों में निर्धारित हैं।
- GI का विशिष्ट रूप से कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और शराब, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है।
- GI का संरक्षण करने के तीन मुख्य उपाय हैं:

✓ तथाकथित सुई जेनेरिस (sui generis) सिस्टम (अर्थात संरक्षण की विशेष व्यवस्था);

✓ सामूहिक या प्रमाणीकरण के मार्क (mark) का उपयोग करना; तथा

✓ प्रशासनिक उत्पाद अनुमोदन योजनाओं सहित बिज़नेस प्रैक्टिसेज पर ध्यान केंद्रित करने की प्रणालियाँ।

- WTO के सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 [Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999] अधिनियमित किया है।

12.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हार्वर्ड के ओलिवर हार्ट और MIT के प्रोफेसर बेंट हॉल्म स्टॉर्म ने अनुबंध और व्यापार में मानव व्यवहार (contracts and human behaviour in business) के अपने अध्ययन हेतु अर्थशास्त्र में इस वर्ष का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है।

अनुबंध सिद्धांत क्या है?

- अनुबंध को किस प्रकार से डिजाईन किया गया है यह वास्तविक जगत में विभिन्न स्थितियों में हमारे प्रोत्साहनों/फायदों को परिभाषित करता है। अनुबंध निम्लिखित प्रकार के हो सकते हैं:

✓ औपचारिक या अनौपचारिक, इस आधार पर कि क्या उन्हें कानून या सामाजिक मानदंडों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है,

✓ पूर्ण या अपूर्ण, जो इस बात पर आधारित होते हैं कि क्या वे सभी संभावनाओं का संज्ञान लेते हैं जो भविष्य में निहित हैं,

- अनुबंध सिद्धांत, कम से कम आंशिक रूप से यह समझने का प्रयास है कि हमारे अनुबंधों में बारीकियों को और इस अनुबंध को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

VISION IAS

- इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने "संविदात्मक अभिकल्पना (contractual design) में शीर्ष अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित वेतन, बीमा में कटौती योग्य और सह-भुगतान, और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का निजीकरण जैसे कई विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने हेतु एक व्यापक रूपरेखा" प्रदान की है।
- यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, इस संकट का दोष उस अल्पकालिक जोखिम को दिया गया जिसे निवेश बैंकरों को भुगतान किए गए विशाल नकद बोनसों द्वारा बढ़ावा दिया गया।
- यह नैतिक जोखिम के विषयों पर भी ध्यान देता है। यह वहां उत्पन्न होता है, जहां जोखिम लेने वाले लोग विफलता की लागत साझा नहीं करते हैं।

अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार के बारे में

- इसे 1968 में स्वीडिश नेशनल बैंक से एक डोनेशन द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह 1895 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा अपनी वसीयत में स्थापित हुए पुरस्कारों में से एक नहीं है, लेकिन नोबेल फाउंडेशन द्वारा इसे अन्य नोबेल पुरस्कारों के साथ उल्लिखित किया गया है।
- अर्थशास्त्र में मेमोरियल पुरस्कार के विजेताओं को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा चुना जाता है।

12.3. निधि आपके निकट कार्यक्रम

(Nidhi Apke Nikat Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस कार्यक्रम की समीक्षा, इसकी स्थापना के बाद से दायर की गयी कुल 17000 याचिकाओं में से केवल 268 लंबित शिकायतों के साथ एक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। EPFO ने भविष्य निधि अदालत को 'निधि आपके निकट नाम' दिया है।

इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी:

- निधि आपके निकट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी विभिन्न हितधारकों (नियोक्ताओं /कर्मचारियों) को एक ही मंच पर लाना है।
- इस कार्यक्रम में संगठन द्वारा कर्मचारियों/नियोक्ताओं के हित में आरम्भ की गयी विभिन्न नई पहलों को समझाया जाता है।
- शिकायतों का निपटान करने के अतिरिक्त, संगठन इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

12.4. डिजीलॉकर

(Digilocker)

- डिजीलॉकर डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
- डिजीलॉकर की कल्पना पेपरलेस शासन को प्राप्त करने के लिए गई है। यह ऑनलाइन दस्तावेज और प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए एक प्लेटफार्म है।

यह कैसे कार्य करता है?

- डिजीलॉकर साइन अप करने वाले किसी भी नागरिक को एक समर्पित वी-क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलेगा जो उनके आधार से जुड़ा होगा।
- जो संगठन डिजीलॉकर के साथ पंजीकृत हैं वे नागरिकों के खाते में दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां हस्तान्तरित करेंगे।
- सुरक्षित संग्रहण के लिए नागरिक अपने दस्तावेज़ों की डिजिटल / स्कैन की गई कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं

12.5 बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

(Base Erosion and Profit Shifting)

- यह एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ राष्ट्रीय कर आधारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कर अपवंचन रणनीतियों के नकारात्मक प्रभाव से है। यह हस्तांतरण मूल्य (transfer pricing) के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) का BEPS पैकेज ,BEPS से निपटने के लिए आवश्यक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ सरकार को तैयार करने वाले 15 कार्यक्रमों को शामिल करता है ।
- इस समावेशी फ्रेमवर्क में यह सुनिश्चित करने के लिए साधन उपलब्ध हैं कि लाभ पर वहाँ कर लगाया जाए जहाँ लाभ देने वाली आर्थिक गतिविधिया संचालित की जा रही है और साथ ही जहाँ वास्तव में मूल्य निर्माण हो रहा है।
- BEPS कार्य योजना (action Plan) OECD द्वारा 2015 में प्रकाशित की गयी थी।

12.6. फेस्टिवल ऑफ़ इनोवेशन (FOIN) इनिशिएटिव

(Festival of Innovation (Foin) Initiative)

- FOIN जमीनी स्तर पर नवाचारों को पहचानने, उनका सम्मान करने तथा पुरस्कार देने और सहायक माहौल प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रपति के कार्यालय की एक अनूठी पहल है।
- चूंकि 2011-20 नवाचार का दशक है अत: इस तथ्य के आलोक में इस पहल का महत्व और भी बढ़ जाता है।

12.7 अकोदरा- भारत का प्रथम डिजिटल गांव

(Akodara India's First Digital Village)

- गुजरात का अकोदरा गाँव पहला डिजिटल गांव है जहां 220 परिवारों में ई-बैंकिंग सुविधा है।
- यहाँ के निवासी इंटरनेट के माध्यम से दूध, सब्जी, अंडे आदि खरीदते हैं।
- 10 रुपये से अधिक की बिक्री पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाता है।

12.8. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क

(India's First Medipark to Come Up in Chennai)

मेडीपार्क के सन्दर्भ में

- सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनी रत्न कंपनी HLL लाइफकेयर लिमिटेड, चेन्नई के बाह्य इलाके में बसे शहर चेंगलपट्टू में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण पार्क (Medipark) की स्थापना करेगा।
- मेडीपार्क देश में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला विनिर्माण क्लस्टर होगा। यह पार्क चिकित्सा उपकरणों, तकनीकी उद्योगों और संबद्ध विषयों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में एक बार काम शुरू हो जाने के बाद यह पार्क प्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों हेतु और अप्रत्यक्ष रूप से कई और हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगा।

12.9 साउथ एशिया ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर (SARTTAC)

(SOUTH ASIA TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE (SARTTAC))

- भारत IMF के सहयोग से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता (ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस) के माध्यम से क्षमता विकास हेतु इस केंद्र की स्थापना कर रहा है।
- इस क्षेत्र में IMF की क्षमता विकास गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए SARTTAC एक केंद्र बिन्दु के रूप में होगा।
- यह मैक्रोइकॉनॉमिक और वित्तीय प्रबंधन, मौद्रिक परिचालन, वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण, और व्यापक आर्थिक आंकड़ों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- यह केंद्र भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में IMF की मौजूदा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की मांग को पूरा करते हुए इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की प्रशिक्षण के स्तर के समकक्ष लेकर आएगा।

12.10. CERT-FIN

(CERT-FIN)

- वित्त मंत्री ने विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र हेतु एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की घोषणा की है।
- CERT-FIN वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। विमुद्रीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उभार के पश्चात साइबर खतरों से निपटना और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

Copyright © by Vision IAS
All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.